भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

निवासियों के लिए

आधार

हस्तपुस्तिका

निवासियों के लिए आधार हैण्ड बूक

अनुक्रमणिका

अनुभाग 1: परिचय 6

1.1 आधार अवलोकन 6

1.2 आधार किसे मिल सकता है? 7

1.2.1 भारत के निवासियों के लिए आधार 7

1.2.2 अनिवासी भारतीयों के लिए आधार 7

1.3 आधार की विशेषताएं 7

1.3.1 आधार एक पहचानकर्ता है 7

1.3.2 आधार एक पहचान है और कुछ नही 7

1.4 आधार के उपयोग 7

अनुभाग 2: आधार के लिए नांमांकन/पंजीयन कैसे कराएं? 5

2.1 पंजीकरण प्रक्रिया 8

2.1.1 दस्तावेज आधारित पंजीकरण 9

2.1.2 परिवार के मुखिया आधारित (HoF) पंजीकरण 10

2.1.3 पहचानकर्ता आधारित पंजीकरण 10

2.1.4 बच्चों का पंजीकरण 10

2.1.5 बायोमेट्रिक अपवादों वाले निवासियों का पंजीकरण 11

2.2 आधार पंजीकरण के लिए याद रखने वाली बातें 12

2.3 आधार पंजीकरण केंद्र 12

2.3.1 अपने नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र का पता लगाएं 12

2.3.2 पंजीकरण केन्द्र के प्रकार 12

2.4 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेवा 13

2.4.1 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बूक करें.... 13
2.4.2 आधार सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट.... 13
2.5 आधार जेनेरेशन की स्थिति.... 14
2.5.1 आधार पंजीकरण की स्थिति की जांच.... 14
2.5.2 यदि EID गुम हो जाए तो क्या करें?.... 14
अनुभाग 3: आधार अपडेट (अद्यतन).... 15
3.1 अपडेट के लिए जरूरी कागजात (डॉक्युमेन्ट).... 15
3.2 डेमोग्राफिक विवरण का ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा.... 16
3.2.1 कागजात के साथ डेमोग्राफिक विवरण में ऑनलाइन अपडेट.... 16
3.2.2 जांच बिंदु ताकि SSUP के माध्यम से अपडेट आग्रह निरस्त नहीं हो..... 16
3.3 बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट.... 18
3.4 आधार के पता में 'केयर ऑफ' फील्ड में अपडेट.... 18
3.5 अपडेट कराने के संख्या की सीमा.... 19
3.6 आधार अपडेट के लिए अपवाद प्रक्रिया.... 19
3.7 आधार निष्क्रिय होने की स्थिति में अपडेट.... 20
3.8 आधार अपडेट के स्थिति की जांच/चेक करना.... 20
3.9 आधार अपडेट के लिए याद रखने योग्य बातें.... 20
3.10 आधार से बाहर निकलना.... 20
अनुभाग 4: आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए वैध दस्तावेजों की सूची.... 22
4.1 पहचान का प्रमाण (PoI).... 23
4.2 पता का प्रमाण (PoA).... 23
4.3 जन्म तिथि (DoB).... 23
4.4 संबंध के प्रमाण (PoR).... 23

4.5 आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए प्रमाण पत्र........ 23

अनुभाग 5: आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए शुल्क........ 24

5.1 आधार पंजीकरण/अपडेट फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं........ 24

5.2 यदि केन्द्र अतिरिक्त शुल्क लेता है तो शिकायत कैसे करें?........ 24

अनुभाग 6: आधार प्राप्त करना........ 26

6.1 आधार जेनरेशन........ 26

6.2 आधार पत्र........ 26

6.3 ई–आधार डाउनलोड........ 27

6.3.1 आधार डाउनलोड करने के लिए OTP और पासवर्ड........ 27

6.3.2 ई–आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर को वैलिडेट/मंजूर करना........ 28

6.3.3 डाउनलोड किया हुआ आधार कानूनन वैध है........ 28

6.3.4 आधार की विशेषताएं........ 28

6.4 आधार PVC कार्ड........ 28

6.5 mAadhaar मोबाइल ऐप्प........ 29

अनुभाग 7: आधार का सत्यापन........ 30

7.1 किसी भी आधार का ऑनलाइन सत्यापन........ 30

7.2 आधार पर सुरक्षित QR कोड........ 31

अनुभाग 8: आधार ऑनलाइन सेवाएं........ 32

8.1 आधार ऑनलाइन सेवाएं (जिसके लिए निबंधित मोबाइल नम्बर की जरूरत नहीं है)........ 32

8.2 आधार ऑनलाइन सेवाएं (जिसके लिए निबंधित मोबाइल नम्बर की जरूरत है)........ 32

8.3 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न........ 33

अनुभाग 9: आपके आधार डाटा की निजता एवं सुरक्षा........ 34

9.1 UIDAI निजता एवं जानाकरी की संरक्षा करता है........ 34

9.2 CIDR में डाटा की सुरक्षा........ 35

9.3 आप आगे कैसे आधार के जानकारी की सुरक्षा कर सकते हैं?........ 35

अनुभाग 10: शिकायतों का निवारण........ 37

10.1 आधार संपर्क केन्द्र – हेल्पलाईन 1947........ 37

10.2 ईमेल द्वारा सहायता........ 38

10.3 आधार वेबसाईट........ 38

10.4 आधार चैटबोट........ 39

10.5 सोशल मीडिया........ 40

10.5.1 आधिकारिक सोशल मीडिया प्रोफाईल........ 40

10.5.2 फर्जी प्रोफाईल/यूजर अकाउंट से सावधान रहें........ 42

10.6 आधार के क्षेत्रीय कार्यालय........ 42

अनुभाग 11: आधार अधिनियम 2016........ 44

11.1 UIDAI की जिम्मेदारियां........ 45

अनुभाग 12: आधार (पंजीकरण एवं अपडेट) विनियम 2016........ 46

12.1 अध्याय II – निवासी पंजीकरण प्रक्रिया........ 46

12.2 अध्याय IV – निवासी की जानकारी का अपडेट........ 48

12.3 अध्याय VI – आधार नम्बर और पहचान की जानकारी का लोप या निष्क्रिय करना........ 49

अनुभाग 13: अनुबंध........ 52

13.1 परिशिष्ट I – वैध सहायक कागजातों की सूची........ 52

13.2 परिशिष्ट II – प्रमाण पत्र का प्रारूप (आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए)........ 54

13.3 परिशिष्ट III – आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए प्रमाण पत्र कैसे भरें........ 54

13.4 परिशिष्ट IV – पंजीकरण फॉर्म........ 55

13.5 आधार ट्यूटोरियल वीडियोज्.. 57

13.6 आधार ऑनलाइन सेवाएं.. 58

13.7 सोशल मीडिया पर आधार.. 59

1 परिचय

प्रिय निवासी,

आधार परिवार में आपका स्वागत है!

यह आधार बुक इस तरह से डिजाईन किया गया है कि यह आपको गाईड के रूप में सेवा दे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसे पढ़ें और आधार के उद्देश्य और अर्थ को समझें।

यह हैण्डबुक आपको, आपके आधार को समझने में मददगार होगा। आधार कैसे प्राप्त करें से लेकर आधार में दर्ज जानकारियों को कैसे अपडेट करें या आप अपने आधार का उपयोग कैसे कर सकते हैं इन सारे प्रश्नों के उतर यह हैण्डबुक देगा। आप यहाँ अपने आधार की प्रक्रिया और आधार से संबंधित सेवाओं के विस्तृत विवरण भी मिलेंगे। प्रत्येक अनुभाग के साथ आप QR कोड भी देखेंगे। आप प्रासंगिक QR कोड को किसी भी QR कोड स्कैनर ऐप्प जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है उससे स्कैन कर सकते हैं और उस विषय से संबंधित वेबपेज पर जा सकते हैं या उल्लिखित सेवा का वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं।

तो आईए, आधार की दुनिया में चुपके से अपनी आधार यात्रा शुरू करें, संबंधित प्रक्रियाओं, आपके लिए उपलब्ध सेवाएं और 12 अंकों की संख्या की शक्ति का जो आपके लिए अद्वितीय है।

1.1 आधार अवलोकन

आधार 12 अंकों की एक अद्वितीय पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन की प्रक्रिया को संतुष्ट (धारा 2 में वर्णित) करने के बाद भारत के निवासियों को जारी किया जाता है।

1.2 आधार किसे मिल सकता है?

आधार संख्या पाने के लिए, भारत का कोई भी निवासी या अनिवासी भारतीय बिना किसी भेद भाव के पंजीकरण करा सकता है। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक आधार नम्बर ही जारी किया जाता है, यह विशिष्टता जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) और बायोमेट्रिक डी–डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया जाता है।

आपका आधार नम्बर जो एक बार आपको जारी कर दिया जाता है वह हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। यह नम्बर कियी अन्य या दूसरे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा।

1.2.1 आधार, भारत के निवासियों के लिए

आप आधार पंजीकरण के लिए पात्र या योग्य है यदि आप भारत के निवासी हैं। परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ यह है कि आधार पंजीकरण के ठीक पहले आप पिछले 12 महीनों के दौरान एक सौ बेरासी (182) दिन या इससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहे हैं।

1.2.2 आधार, अनिवासी भारतीयों के लिए

यदि आप अनिवासी भारतीय (NRI) हैं और आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप आधार के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। एक सौ बेरासी (182) दिनों का शासनादेश अनिवासी भारतीयों पर लागू नहीं होता है। आप आधार केन्द्र जाकर अनिवासी भारतीय के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अनिवासी भारतीय के लिए पहचान के प्रमाण (PoI) के रूप में भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है। पता के प्रमाण (PoA) के रूप में आवेदक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा मान्य दस्तावेजों (इस हैण्ड बुक के परिशिष्ट – I का खण्ड 13.1 देखें) में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं।

अनिवासी भारतीयों के लिए पहचान के प्रमाण (PoI) के रूप में भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य है।

1.3 आधार की विशेषताएं

1.3.1 आधार एक पहचानकर्त्ता

आधार 12 अंकों की एक अद्वितीय पहचान है जो किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है। निवासी की पहचान के लिए आधार में जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग और पता), चेहरे का फोटो, अंगुलियों आँख की पुतलियों के निशान का उपयोग किया जाता है। ये जानकारियां अनिवार्य हैं। इसके अलावा आपके पास मोबाइल फोन नंबर, ई–मेल देने का विकल्प उपलब्ध है। हम इन विवरणों को भी उपलब्ध कराने की अनुशंसा करते हैं।

1.3.2 आधार एक पहचान है और कुछ नहीं

आधार संख्या पहचान का प्रमाण है। आधार संख्या धारक को यह नागरिकता या अधिवास का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता है। आपका आधार यादृच्छिक या रैण्डम संख्या है जिसमें किसी भी इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं किया गया है और जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य और भूगोल के आधार पर लोगों का प्रोफाइल बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

1.4 आधार के उपयोग

आधार प्रणाली निवासियों के लिए देश भर में एकल स्त्रोत ऑफलाइन/ऑनलाइन पहचान सत्यापन प्रदान करती है। एक बार जब आप पंजीकरण करा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यमों, जैसा भी मामला हो, से आप कई बार आधार नंबर का उपयोग अपनी पहचान प्रमाणित और स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। यह सेवाओं, लाभों और अनुदान या सब्सिडी पाने के लिए हर बार पहचान के दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत को खत्म करता है।

आधार पहचान का एक पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करता है जिसे आधार प्रमाणीकरण के द्वारा कभी भी, कहीं भी ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

अनुभाग 2: आधार के लिए पंजीकरण कैसे कराएं?

आधार, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है, प्राप्त करने के लिए आपको पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होती है। कृपया यह ध्यान दें कि आपको आधार के लिए सिर्फ एक बार ही पंजीकरण कराने की जरूरत होती है।

2.1 पंजीकरण प्रक्रिया

आप चाहे भारत के निवासी हो या अनिवासी भारतीय हों आधार नंबर प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप पंजीकरण करा सकते हैं:

- किसी आधार केंद्र पर जाएं
- आधार पंजीकरण फॉर्म भरें
- डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी दें
- स्कैन करने के लिए ऑपरेटर को पहचान (PoI), पता (PoA) और जन्म तिथि (DoB) का वैध प्रमाण उपलब्ध कराएं
- अपना मूल दस्तावेज पावती रसीद के साथ जिसमें EID (पंजीकरण ID) दर्ज हो एकत्र करें

यदि निवासी का पंजीकरण परिवार के मुखिया (HoF) के आधार पर किया जा रहा है (धारा 2.1.1.2 का संदर्भ लें) तो उसे सिर्फ संबंध बताने वाले (PoR) दस्तावेज ही प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।

आधार पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें:

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf

नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र का विवरण प्राप्त करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें:

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

अपने साथ मूल दस्तावेज लेकर आधार केंद्र जाएं। ये दस्तावेज स्कैन करने के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। फोटो कॉपी की जरूरत नहीं है।

ऊपर वर्णित प्रक्रिया में वैसे निवासियों के लिए अपवाद है जिनके पास उनके नाम का जरूरी दस्तावेज नहीं है जैसे: परिवार के सदस्य / बेघर / अनाथ आदि या वे निवासी जिनके पास बायोमेट्रिक अपवाद है जहाँ जरूरी बायोमेट्रिक विवरण एकत्र नहीं किया जा सकता है। पंजीकरण के प्रत्येक मामलों की व्याख्या नीचे की गई है:

2.1.1 दस्तावेज आधारित पंजीकरण

आप पंजीकरण फॉर्म या UIDAI के वेबसाइट (देखें खण्ड 13.1, परिशिष्ट – I) पर उपलब्ध वैध दस्तावेजों की सूची के अनुसार पहचान (PoI) आरै पता (PoA) के वैध प्रमाण प्रस्तुत कर आधार पंजीकरण करा सकते हैं:

- पहचान का प्रमाण (PoI) – अनिवार्य
- पता का प्रमाण (PoA) – अनिवार्य

- जन्म तिथि का प्रमाण (DoB) – आपको UIDAI की सूची के अनुसार जन्म तिथि के वैध प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप अपनी अनुमानित उम्र या जन्म तिथि घोषित कर सकते हैं।

यदि आपके पास वैध दस्तावेज हैं तो आपको आधार पंजीकरण के लिए उसे प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास आपके नाम का दस्तावेज नहीं है तो अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र (परिशिष्ट – II का संदर्भ लें) का भी उपयोग कर सकते हैं। UIDAI ने इस प्रमाण पत्र के लिए मानक प्रारूप को परिभाषित किया है। सत्यापन के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची के लिए दिए गए लिंक पर जाएं:

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

आधार पंजीकरण के लिए दस्तावेज में आपका नाम होना चाहिए।

2.1..2 परिवार का मुखिया (HoF) आधारित पंजीकरण

जहाँ व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है वहाँ परिवार के सदस्यों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान कर परिवार का मुखिया (HoF) आधारित पंजीकरण कराया जा सकता है:

- परिवार के मुखिया का नाम
- निवासी और परिवार के मुखिया (HoF) के बीच संबंध बताने वाला प्रमाण (PoR)
- परिवार के मुखिया का आधार नंबर
- पंजीकरण के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि

परिवार का मुखिया आधारित पंजीकरण के लिए परिवार के मुखिया को पंजीकरण के समय बायोमेट्रिक पुष्टि देनी होगी।

2.1.3 परिचयकर्ता आधारित पंजीकरण

यदि आपके पास ऊपर वर्णित दस्तावेजों मं से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो आप परिचयकर्ता आधारित पंजीकरण करा सकते हैं। ये 'परिचयकर्ता' रजिस्ट्रार/निबंधकों द्वारा नियुक्त सत्यापित अधिकारी हैं, जो ये हो सकते हैं:

- रजिस्ट्रार/निबंधकों के अपने कर्मचारी
- स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य
- स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य
- पोस्टमैन
- शिक्षक जैसे प्रभावशाली व्यक्ति
- स्वास्थ्य कर्मी
- डॉक्टर्स
- ऑँगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता

- स्थानीय गैर सरकारी संगठन या NGOs के प्रतिनिधि

परिचयकर्ता आधारित पंजीकरण के दौरान एकत्र की जाने वाली जानकारी:

- परिचयकर्ता का नाम
- परिचयकर्ता का आधार नंबर
- परिचयकर्ता की एक बायोमेट्रिक जानकारी

2.1.4 बच्चों का पंजीकरण

नवजात शिशु समेत बच्चों का आधार पंजीकरण कराया जा सकता है। नीचे दिए गए दो विधियों का पालन करके बच्चों के उम्र के अनुसार उनका पंजीकरण किया जाता है:

बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है:

बच्चों के पंजीकरण (नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष से कम आयु तक) के लिए माता–पिता या अभिभावक में से किसी एक के आधार सत्यापन की जरूरत होती है। **पंजीकरण के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं किया जाता है।** बच्चे का नाम, जन्म तिथि, लिंग और फोटोग्राफ एकत्र किया जाता है। उनका आधार माता–पिता या अभिभावक के साथ लिंक्ड होता है।

माता–पिता या अभिभावक को चाहिए कि वे बच्चे को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं:

- **बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र** जो निबंधक, जन्म, नगर निगम या किसी अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकाय जैसे, ताल्लुका, तहसील आदि द्वारा जारी किया गया हो या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी बच्चे के जन्म का डिस्चार्ज कार्ड/स्लीप
- माता–पिता में से किसी एक का आधार (या पंजीकरण पावती EID) यदि माता और पिता या अभिभावक दोनो जिन्दा हैं तो बेहतर होगा कि माता का आधार दिया जाए

कृपया ध्यान रहे यदि आपको अपने आधार में दर्ज वर्तमान पता अपडेट कराना है और चाहते हैं कि बच्चे के आधार में नया पता दर्ज हो तो बच्चे का आधार पंजीकरण कराने से पहले अपना विवरण अपडेट करा लें। एक बार आपका आधार अपडेट हो जाता है तब आप बच्चे को आधार पंजीकरण के लिए ले जा सकते हैं और अपने अपडेटेड आधार का उपयोग इस काम के लिए कर सकते हैं।

बच्चे जिनकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच है:

माता–पिता या अभिभावक को चाहिए कि वे बच्चे का आधार पंजीकरण के लिए उसे निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं:

- **यदि बच्चे का पंजीकरण उसके दस्तावेज से कराया जा रहा है** – बच्चे के स्कूल का पहचान पत्र या ID (मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी) या UIDAI द्वारा स्वीकार्य कोई भी दस्तावेज।
- **यदि बच्चे का पंजीकरण परिवार का मुखिया (HoF) आधारित कराया जा रहा है –**

यदि बच्चे के पास स्कूल का वैध पहचान पत्र या ID या दूसरा कोई भी सूचीबद्ध दस्तावेज नहीं है तो माता–पिता या अभिभावक उसका पंजीकरण परिवार का मुखिया (HoF) आधारित करा सकते हैं जिसमें संबंध दर्शाने वाले प्रमाण (PoR) की जरूरत होगी (2.1.1.2 का संदर्भ लें)

नोटः *नाबालिग के आधार पंजीकरण के लिए माता–पिता या अभिभावक, बच्चे की ओर से अपनी सहमति देते हैं।*

बच्चे के स्कूल का पहचान पत्र या ID का उपयोग आधार पंजीकरण के लिए किया जा सकता है।

2.1.5 बायोमेट्रिक अपवाद वाले निवासियों का पंजीकरण

यदि निवासी बायोमेट्रिक अपवाद जैसे, अंगुली नहीं है / आंख नहीं है आदि तब निम्नलिखित जानकारी एकत्र करने की जरूरत होगीः

- संपूर्ण डेमोग्राफिक जानकारी
- आंख की एक पुतली (आयरिश) यदि दोनो पुतली एकत्र करना संभव न हो
- अंगुली नहीं होने की स्थिति में बची हुई अंगुली
- अपवाद फोटोग्राफ

2.2 आधार पंजीकरण के लिए ध्यान देने योग्य बातें

- प्रत्येक निवासी के लिए आधार आंकड़ों का संग्रह दो भाषाओं में किया जाता है – अंग्रेजी (डिफॉल्ट) और स्थानीय भाषा (पंजीकरण के दौरान जैसा निवासी द्वारा चुनाव किया जाता है)। निवासी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्न्ड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगला, ओडिया, असमी और अंग्रेजी में से चुनाव कर सकते हैं।
- आपके द्वारा पंजीकरण फॉर्म में दर्ज विवरण आपके सामने रखे स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह महत्वपूर्ण है कि ऑपरेटर आपके विवरणों का जमा (सबमिट) करे उसके पहले आप ऑपरेटर द्वारा दर्ज विवरणों की अंग्रेजी और स्थानीय दोनो भाषा में जांच कर उसकी पुष्टि करें। पावती रसीद पर हस्ताक्षर करने के पहले आप फिर से इसकी जांच कर सकते हैं।
- जब तक प्राधिकरण द्वारा सलाह नहीं दिया जाता है निवासी को सिर्फ एक बार पंजीकरण कराने की जरूरत है, क्योंकि कई बार पंजीकरण कराने से वे सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
- निवासी का डाटा पैकेट प्राप्त होने के बाद आधार जारी होने के लिए निवासी को 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है।

अंग्रेजी समेत स्थानीय भाषा में सारे विवरणें की सावधानीपूर्वक जांच करें यदि कोई गलती हो तो ऑपरेटर द्वारा आपके आधार पंजीकरण को जमा (सबमिट) करने के पहले उसमें सुधार करा लें।

2.3 आधार पंजीकरण केंद्र

आधार सेवाएं प्रदान करने के लिए UIDAI ने देश भर में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना की है। ये बैंकों, पोस्ट ऑफिसों, BSNL केंद्रों, CSCs, राज्य सरकार के नामित कार्यालयों और एक्सक्लुसिव आधार सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं।

आप किसी भी आधार पंजीकरण केंद्र पर जाकर आधार के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। डेमोग्राफिक विवरणों (नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल) या बायोमेट्रिक्स (फोटोग्राफ, अंगुलियों या आंख की पुतलियों के स्कैन) में अपडेट के लिए आप आधार और वैध सहायक दस्तावेजों के साथ केंद्र पर जा सकते हैं।

2.3.1 अपने नजदीकी आधार केंद्र का पता लगाएं

आप किसी भी नजदीकी आधार केंद्र का विवरण यहाँ से हासिल कर सकते हैं:

- 1947 पर कॉल कर के
- आधार के वेबसाइट से https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
- mAadhaar ऐप्प के जरिए

आधार केंद्र का विवरण आप कैसे हासिल कर सकते हैं इस पर ट्यूटोरियल देखने के लिए दि गए लिंक पर जाएं: https://youtu.be/Iw2qihwxUE0

2.3.2 पंजीकरण केंद्र के प्रकार

आधार पंजीकरण केंद्रों को मोटे तौर पर दो श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं:

2.3.2.1 रजिस्ट्रार / निबंधक द्वारा संचालित आधार केंद्र

ये वो आधार केंद्र हैं जो देश भर में बैंक, पोस्ट ऑफिस, BSNL केंद्रों, CSCs और राज्य सरकार के कार्यालयों में उपलब्ध हैं। इनका संचालन संबंधित रजिस्ट्रारों / निबंधकों द्वारा किया जाता है।

2.3.2.2 UIDAI द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र

आधार सेवा केंद्र या ASKs एक्सक्लुसिव आधार केंद्र हैं जिनका संचालन UIDAI द्वारा किया जाता है जो निवासियों को स्टेट–ऑफ–द–आर्ट वातावरण में आधार सेवाएं प्रदान करता है।

आधार सेवा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर जाएं : https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html

आधार सेवा केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़ कर सप्ताह के सातों दिन प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक खुला रहता है। प्रत्येक आधार सेवा केंद्रों को प्रतिदिन 250 से 1000 तक आग्रह लेने की क्षमता है।

2.4 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेवा

आधार पंजीकरण और अपडेट के लिए UIDAI अपॉइंटमेंट बूक करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान करता है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेवा का उपयोग स्वयं या परिवार के सदस्य या मित्रों के लिए अपॉइंटमेंट बूक करने के लिए कर सकते हैं।

2.4.1 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बूक करें

अपॉइंटमेंट बुकिंग के जरिए यह सुविधा आधार सेवा केंद्र (ASK) या किसी भी सूचीबद्ध आधार केंद्र पर निम्नलिखित सेवाओं के लिए उपलब्ध है:

- नया आधार पंजीकरण
- नाम अपडेट या सुधार
- पता अपडेट या सुधार
- जन्म तिथि अपडेट या सुधार
- लिंग अपडेट या सुधार
- बायोमेट्रिक (फोटो+अंगुलियों के निशान+आयरिश) अपडेट
- मोबाइल नंबर अपडेट
- ईमेल अपडेट

आप आधार पंजीकरण / अपडेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें, केंद्र का टाइम स्लॉट बुक करें और चुने गए आधार केंद्र पर जाएं। पावती रसीद, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट ID और QR कोड दर्ज है वह आपका पंजीकरण फॉर्म भी है। समय की बचत करने के लिए आप इसका एक प्रिंट साथ लेकर जा सकते हैं। प्रिंट की सुविधा आधार सेवा केंद्र (ASK) पर भी उपलब्ध है।

अपना अपॉइंटमेंट बूक करने के लिए ए गए लिंक पर जाएं:

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

आप स्वयं और परिवार के सदस्योंमित्रों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निःशुल्क बुक करें और समय की बचत करें।

2.4.2 आधार सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट

आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट UIDAI के वेबसाइट या mAadhaar मोबाइल ऐप्प के जरिए बुक कर सकते हैं। आप एदि आधार में अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो आपको आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करने की जरूरत होगी। यह सुविधा केवल आधार निबंधित मोबाइन लंबर तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया निम्न है:

- https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx पेज पर जाएं
- केंद्र के नाम का चयन कर "Proceed to Book Appointment" को क्लिक करें
- उस सेवा का चुनाव करें जो आप कराना चाहते हैं – New Aadhaar or Aadhaar Update
- अपना मोबाइल नंबर भरें, कैप्चा दर्ज करें और सब्मिट करें
- आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर प्राप्त OTP दर्ज करें
- आपके मोबाइल के सफलतापूर्वक सत्यापन के पश्चात वांछनीय विवरण भरने के लिए एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। वांछनीय विवरण भरने के पश्चात फॉर्म को सब्मिट कर दें।
- "Manage Appointment" टैब पर जाकर आप अपॉइंटमेंट विवरण (समय और दिनांक) का प्रबंधन कर सकते हैं

ट्यूटोरियल देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U

2.5 आधार जारी होने (जेनरेशन) की स्थिति

2.5.1 आधार पंजीकरण के स्थिति की जाच

यदि आपने पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर/ईमेल दिया है तो आपको आधार जारी होने से संबंधित SMS/email का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। यदि आपका आधार जारी हो गया है तो आप UIDAI के वेबसाइट या 1947 पर कॉल करके भी इसकी जांच कर सकते हैं।

आधार जारी होने के स्थिति की जांच करने के लिए आपको EID (Enrolment ID) की जरूरत होगी। आपके पंजीकरण पावती के बाईं ओर के ऊपरी हिस्से पर 14 अंकों का पंजीकरण क्रमांक (1234/12345/12345) और 14 अंकों का टाइम स्टाम्प (dd/mm/yyyy hh:mm:ss) जिसमें पंजीकरण दिनांक और समय दर्ज रहता है। ये 28 अंक साथ मिल कर पंजीकरण ID (EID) का निर्माण करते हैं।

ट्यूटोरियल देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8

2.5.2 EID गुम हो जाए तो क्या करें?

पंजीकरण के बाद आप जो पावती रसीद प्राप्त करते हैं पंजीकरण ID उसी पर उल्लिखित होता है। कृपया इस रसीद को सावधानी के साथ रखें। आपको यह सलाह दी जाती है कि इसका एक फोटो लेकर अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। यदि यह रसीद गुम हो जाए तो आप इन दो विधि की सहायता से अपना EID फिर से प्राप्त कर सकते हैं:

- UIDAI से ऑनलाइन (इसके लिए निबंधित मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है)
- 1947 आधार हेल्पलाइन से कॉल कर के

गुम हो गए EID/UID को फिर से कैसे प्राप्त करें विषय पर ट्यूटोरियल देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं: https://youtu.be/wn6ec6OGbhA

गुम हो गए EID/UID को फिर से प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं: https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid

अनुभाग 3: आधार अपडेट

आप अपने आधार में कोई भी डेमोग्राफिक विवरण (नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या ईमेल ID), या बायोमेट्रिक विवरण (फोटो, अंगुलियों के निशान, आयरिश का स्कैन) देश भर के किसी भी आधार केंद्र पर अपडेट करा सकते हैं।

आप एक ही समय में आधार केंद्र पर एक से अधिक अपडेट करा सकते हैं। एक अपडेट (जैसे कि पता) और विभिन्न अपडेट (जैसे कि पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि) के लिए शुल्क समान है। इसलिए जितने भी अपडेट कराने की जरूरत है उन सभी को एक साथ अपडेट कराना आपके लिए सुविधाजनक और किफायती दोनो है। इसलिए अपडेट के लिए आधार केंद्र जाने से पहले आपको अपने आधार में किसी और अपडेट की जरूरत है इसकी जांच कर लेनी चाहिए।

जब आप आधार अपडेट कराते हैं तो सिर्फ आपके आधार का विवरण अपडेट होता है, आधार नंबर वही रहता है।

3.1 आधार अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार में निम्न विवरणों को अपडेट कराने के लिए सत्यापन हेतु आपको वैध सहायक दस्तावेजों की जरूरत होगी:

- नाम
- पता
- जन्म तिथि

दस्तावेज आवेदक के नाम पर होना चाहिए। स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची आधार वेबसाइट और mAadhaar ऐप्प पर उपलब्ध है। (खण्ड 13.1, परिशिष्ट - I)

निम्न विवरणों में अपडेट के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं है:

- लिंग
- मोबाइल नंबर
- ईमेल ID
- फोटोग्राफ

- अंगुलियों के निशान और आयरिश स्कैन
- स्थानीय भाषा

नोटः आधार में पिता / माता / पति का नाम, पता का हिस्सा है। आधार धारक इसमें किसी भी समय अपडेट करा सकते हैं। विवरण के लिए खण्ड 3.4 का संदर्भ लें।

3.2 डेमोग्राफिक विवरण ऑनलाइन अपडेट की सुविधा

UIDAI डेमोग्राफिक विवरणों में ऑनलाइन अपडेट या सुधार कराने की सुविधा Self Service and Update Portal (SSUP) - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ के माध्यम से प्रदान करता है। SSUP में लॉग इन करने के लिए आपके आधार के साथ निबंधित मोबाइल नंबर की जरूरत होगी जिस पर आप OTP प्राप्त करेंगे। यदि निबंधित मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने आधार और सहायक दस्तावेज के साथ किसी भी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करा सकते हैं।

3.2.1 दस्तावेज के साथ डेमोग्राफिक विवरण में ऑनलाइन अपडेट करना

आप अपने आधार में डेमोग्राफिक (नाम – छोटी–मोटी त्रुटि, पता, जन्म तिथि, लिंग, क्षेत्रीय भाषा) विवरण प्रमाण के वैध दस्तावेजों जो आपके अर्थात आवेदक के नाम का हो (देखें सूची खण्ड 13.1, परिशिष्ट - I) के साथ अपडेट करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया निम्न हैः

1. https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ पर जाएं
2. अपने आधार नंबर के साथ लॉग इन करें
3. अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें
4. डेमोग्राफिक विवरण दर्ज करें
5. UIDAI को अपने आधार में क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में अनुवाद करने की अनुमति प्रदान करें या ऑटो–ट्रांसलेट किए गए वर्तनी या स्पेलिंग को स्वयं सही करें
6. एक बार जब आप सारे विवरणों एवं वर्तनी से संतुष्ट हो जाएं तब सब्मिट कर दें
7. सहायक दस्तावेजों का स्पष्ट स्कैन कर (.pdf, png या jpeg फॉर्मेट) आग्रह के साथ अपलोड कर दें। यदि दस्तावेज में कई पेज है तो सभी का अपलोड करने के पहले एक pdf फाईल बना लें।
8. अपलोड करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि मूल दस्तावेज का ही स्कैन करें। यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
9. विवरणों, वर्तनी और सहायक दस्तावेजों की फिर से समीक्षा कर लें, यदि कोई गलती हो तो Edit विकल्प की सहायता से उसमें सुधार कर लें।
10. कृपया मेक पेमेंट बटन को क्लिक करें और पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें।
11. SSUP अपडेट के लिए प्रति आग्रह 50 रूप्या शुल्क है, इसके बाद भी यदि एक और आग्रह करते हैं तो इसके लिए अलग से 50 रूपया शुल्क लिया जाएगा।

12. निवासी अपने आग्रह को BPO प्रक्रिया के पहले निरस्त कर सकते हैं (निरस्तीकरण या भुगतान कर दिया गया है और असफल हो गया है तो निवासी को वापस कर दिया जाएगा)
13. यदि आपका पूर्व का आग्रह असफल हो गया हो (भुगतान असफल होने के कारण) तो SSUP पोर्टल पर लॉग इनक रने के बाद आप उस आग्रह को निरस्त कर सकते हैं।

नोटः नाम, जन्म तिथि और लिंग में अपडेट की निर्धारित सीमा निम्न है:
क) जन्म तिथि में सुधार – एक बार ख) नाम में सुधार – दो बार ग) लिंग में सुधार – एक बार

3.2.2 SSUP के माध्यम से लिए गए अपडेट के आग्रह निरस्त नहीं हों इसके लिए जांच बिंदु

- ऑनलाइन SSUP फॉर्म में कृपया वैध डाटा या जानकारी ही दर्ज करें, यह सुनिश्चित कर लें कि जो जानकारी दर्ज की जा रही है वह अपडेट के आग्रह के लिए अपलोड किए गए दस्तावेज से मेल खाए।
- कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं उसमें निवासी का नाम है जिसके लिए अपडेट का आग्रह किया गया है।
- कृपया दस्तावेज के सही नाम का चुनाव करें, जो अपलोड किया गया है औश्र यह सुनिश्चित करें कि यह दस्तावेज के प्रमाण से मेल खाता हो।
- कृपया जब वैध दस्तावेज के प्रमाण के रूप में दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं तो मूल दस्तावेज के हाई रिजॉल्युशन के इमेज का उपयोग करें।
- दस्तावेज में जो उम्र दर्ज है और आधार पर जो फङ्गेटो है वह मेल खाना चाहिए।
- निवासी का लिंग और फोटो मेल खाना चाहिए।
- अधूरा विवरण के साथ अपना आग्रह सबमिट नहीं करें।

3.3 बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट

जब बच्चे 5 साल के और एक बार फिर जब वे 15 साल के हो जाएं तब उनके बायोमेट्रिक विवरण में अपडेट कराने की जरूरत होती है। बच्चों के अंगुली का निशान, आयरिश स्कैन और फोटोग्राफ एकत्र किए जाते हैं और उनके आधार में अपडेट कर दिए जाते हैं। इससे बच्चे को जहां कहीं भी जरूरत होगी एक पहचानकर्ता के रूप में अपने आधार का उपयोग करने में मदद मिलती है। बच्चे को दिया गया आधार नंबर वही रहता है। बच्चों का यह अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क है।

3.4 आधार के पता में 'Care of' को अपडेट करना

आधार में 'Care of' विवरण, पता का हिस्सा होता है। ये पहले W/o, D/o, S/o, या C/o के रूप में उल्लिखित थे। इन्हें अब C/o के रूप में मानकीकृत कर दिया गया है। यदि आप अपना आधार अपडेट कराते हैं या नवीनतम आधार डानलोड करते हैं तो यह संबंध के विवरणों को C/o के रूप में दिखाएगा।

यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप पता में अपडेट का अनुरोध (या तो आधार केंद्र पर या ऑनलाइन SSUP के द्वारा – खण्ड 3.2.1 का संदर्भ लें) कर सकते हैं। दस्तावेज आपके नाम का होना चाहिए न कि उस व्यक्ति के नाम का जिसका नाम आप C/o फिल्ड में अपडेट करना चाहते हैं। यह फिल्ड अनवार्य नहीं है। आप अपने पता में C/o फिल्ड को खाली छोड़ सकते हैं।

C/o फिल्ड अनिवार्य फिल्ड नहीं है आप पता में इसे खाली छोड़ सकते हैं।

3.5 अपडेट करने की संख्या की सीमा

UIDAI के अपडेट पॉलिसी के अनुसार डेमोग्राफिक जानकारी में अपडेट कराने की निर्धारित सीमा निम्न है:

- नाम – दो बार अपडेट कराया जा सकता है
- लिंग – एक बार
- जन्म तिथि – एक बार

स्वीकार्य सीमा के तहत ऊपर उल्लिखित अपडेट वैसे ही होगा जैसे खण्ड 3.1 में उल्लिखित है। आपके आधार में किसी भी अन्य जानकारी को जरूरत के अनुसार अपडेट किया जा सकता है। अन्य डेमोग्राफिक विवरण – पता, ईमेल ID, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक्स – फोटोग्राफ, अंगुलियों के निशान, आयरिश स्कैन के अपडेट की कोई सीमा नहीं है।

3.6 आधार अपडेट के लिए अपवाद प्रक्रिया

किसी कारणवश यदि आपको ऊपर उल्लिखित तीन फिल्ड (नाम, लिंग और जन्म तिथि) में फिर से अपडेट (स्वीकार्य सीमा के बाद) कराना है तो आपको जरूरत होगी:

1. किसी आधार केंद्र पर जाने की (नाम और जन्म तिथि में अपडेट के लिए वैध सहायक दस्तावेजों के साथ)
2. अपडेट का अनुरोध करें
3. नवीनतम URN (Update Request Number) 1947 पर आधार सहायता केंद्र को कॉल या help@uidai.gov.in पर मेल कर के भेज दें और ''अपवाद अपडेट'' के लिए अनुरोध करें।

उसके बाद उचित कार्रवाई हेतु यह मामला UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को सौप दिया जाता है जो आपके क्षेत्र के मामलों को देखता है। एक बार सत्यापित हो जाने के बाद आपके अपडेट अनुरोध को संसाधित किया जाएगा और परिणाम से आपको अवगत करा दिया जाता है।

3.7 आधार निष्क्रिय की स्थिति में अपडेट

आपका आधार डेटा सामयिक गुणवता जांच के अधीन है। UIDAI के द्वारा ऐसे गुणवता जांच के दौरान निवासी के सहायक दस्तावेजों या एकत्र किए गए बायोमेट्रिक आंकड़ों में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उनका आधार अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और इसकी सूचना आधार धारक को दे दी जाती है। यदि आपका आधार निलंबित है तो आप किसी भी आधार सेवा का जो OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन पर आधारित हैं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

ऐसे मामलों में आपको निम्न का पालन करने की जरूरत है:

1. ''आधार निलंबन'' का कारण जानने और आगामी कार्रवाई को जानने के लिए UIDAI को ईमेल/SMS/पत्र के माध्यम से संदर्भित करें
2. यदि निलंबन बायोमेट्रिक से संबंधित कारणों से है तो किसी भी आधार केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराएं
3. यदि निलंबन, दस्तावेज से संबंधित कारणों से है तो अपडेट के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें या वहां जाएं

3.8 अपडेट के स्थिति की जांच

आप अपने आधार अपडेट अनुरोध की जांच 14 अंकों के अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) और दिनांक एवं समय जो अपडेट की पावती रसीद पर उल्लिखित होता है का उपयोग कर निम्न से कर सकते हैं:

- 1947 – आधार हेल्पलाइन
- Uidai.gov.in
- mAadhaar ऐप्प

SSUP के माध्यम से पता में ऑनलाइन अपडेट का अनुरोध सफलतापूर्वक जमा (सब्मिट) करने के बाद आप URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) 0000/00XXX/XXXXX के प्रारूप में प्राप्त करते हैं। यह स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है और SMS के द्वारा आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाता है। अपने आधार अपडेट के स्थिति का पता:

https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus

से लगाने के लिए इस URN एवं आधार नंबर का उपयोग करें।

3.9 आधार पंजीकरण केंद्र पर आधार अपडेट के लिए याद रखने योग्य बातें

1. कोई भी आधार धारक, आधार अपडेट के लिए आग्रह कर सकता है।

2. आधार अपडेट अनुरोध के लिए आधार धारक के सत्यापन की जरूरत होती है। यह सत्यापन या तो आधार केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए या पता में ऑनलाइन अपडेट के लिए OTP के माध्यम से किया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता–पिता या अभिभावक के द्वारा यह सत्यापन किया जाता है जिनका आधार बच्चे के पंजीकरण के समय लिंक किया गया था।
3. 18 साल के कम उम्र के बच्चों के आधार में अपडेट के लिए माता–पिता या अभिभावक की सहमति ली जाती है।
4. यदि आपका अपडेट रसीद गुम हो गया है या आपके पास आपका URN नहीं है तो EID दुबारा प्राप्त करने के लिए खण्ड 2.5.1 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें।
5. यदि आपका अपडेट अनुरोध निरस्त (रिजेक्ट) हो गया है तो कारण जानने के लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं और अपडेट का दुबारा अनुरोध करने के पहले सुधारात्मक उपाय करें।
6. यदि आपका आधार अमान्य (Invalid) दिखाता है तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 1947 पर कॉल करें।
7. यदि आपके आधार पत्र पर सिर्फ 'जन्म वर्ष' अंकित है तो अपडेट नहीं कराएं। अपने आधार में पूरा जन्म तिथि दिखाने के लिए बस अपना नवीनतम आधार डाउनलोड करें या uidai.gov.in से Order Aadhaar PVC Card का अनुरोध करें जिसमें आपका पूर्ण जन्म तिथि अंकित होगा।

3.10 आधार अपडेट के लिए याद रखने योग्य बातें

एक निवासी जो आधार नंबर धारक है वह 18 साल का उम्र प्राप्त कर लेने की तारीख से 6 महीने के अंदर अपना आधार निरस्त करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

ऐसे निवासी को निर्धारित तिथि और समय पर आधार सत्यापन या अन्य किसी दूसरे माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जाने की जरूरत होगी ताकि क्षेत्रीय कार्यालय आधार नंबर निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सके जो कि तीन महीने की समयावधि के अंदर निरस्त किया जाएगा। बाद यदि आपका

अनुभाग 4: आधार पंजीकरण / अपडेट के लिए वैध दस्तावेजों की सूची

आप सत्यापन के लिए वैध सहायक दस्तावेज देकर आधार पंजीकरण या आधार में दर्ज डेमोग्रफिक विवरण में अपडेट करा सकते हैं। यह पहचान का प्रमाण (PoI)/पता का प्रमाण (PoA)/जन्म तिथि का प्रमाण (DoB)/संबंध दर्शाने वाले प्रमाण (PoR) हमारे वेबसाइट uidai.gov.in, mAadhaar ऐप्प और परिशिष्ट – I (खण्ड 13.1) पर भी उपलब्ध है।

वैध सहायक दस्तावेज निम्न के लिए अनिवार्य हैं:

- आधार पंजीकरण
- नाम अपडेट
- पता अपडेट

- जन्म तिथि अपडेट

आप अपने आधार में किसी भी डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट कराने के लिए अपने आधार के साथ सीधे आधार केंद्र पर जा सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अनिवासी भारतीय (NRI) के पंजीकरण के लिए भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य पहचान का प्रमाण (PoI) है। अनिवासी भारतीय पता के प्रमाण (PoA) के रूप में कोई भी दस्तावेज (वैध दस्तावेजों की सूची के अनुसार) देने के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची को संदर्भित करने के लिए दिए गए लिंक पर जाएः

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

4.1 पहचान का प्रमाण (PoI)

आधार पंजीकरण या नाम अपडेट के लिए आपको वैध दस्तावेजों की सूची के अनुसार फोटोग्राफ के साथ कम से कम पहचान का एक प्रमाण (PoI) दस्तावेज के रूप में प्रदान करना होगा।

4.2 पता का प्रमाण (PoA)

आधार केंद्र या SSUP के माध्यम से ऑनलाइन पता अपडेट कराने के लिए आपको अपने नाम के पता का प्रमाण (PoA) देना होगा। आप एड्रेस वैलिडेशन लेटर सेवा का का भी उपयोग कर सकते हैं (खण्ड 3.2.2 का संदर्भ लें)।

4.3 जन्म तिथि (DoB)

अपने आधार के जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए आपको UIDAI द्वारा स्वीकार्य वैध दस्तावेजों की सूची के अनुसार अपने नाम पर जन्म तिथि के प्रमाण (DoB) का दस्तावेज देना होगा।

4.4 संबंध का प्रमाण (PoR)

'परिवार के मुखिया' आधारित पंजीकरण या 'बच्चों के पंजीकरण' के लिए आपको UIDAI द्वारा स्वीकार्य वैध दस्तावेजों की सूची के अनुसार संबंध दर्शाने वाले प्रमाण (PoR) का दस्तावेज देना होगा।

4.5 आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए प्रमाण पत्र

सहायक दस्तावेजों की सूची के अनुसार आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए आप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का उपयोग (PoI)/पहचान का प्रमाण, (PoA)/पता का प्रमाण, (DoB)/जन्म तिथि का प्रमाण, (PoR)/संबंध के प्रमाण के रूप में कर सकते हैं।

आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएः

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

अनुभाग 5: आधार पंजीकरण / अपडेट के लिए शुल्क (1.1.2019 से प्रभावी)

UIDAI ने आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए सभी निबंधकों द्वारा निवासियों से ली जाने वाली अधिकतम राशि निर्दिष्ट की है। एक बार में एक से अधिक फिल्ड के अपडेट कराने को एक अपडेट ही माना जाएगा। यह अनुशंसा की जाती है कि आधार केंद्र जाने के पहले आप अपने आधार के विवरणों की जांच करें और जो भी अपडेट कराने की जरूरत हो वे सारे विवरण एक बार में ही अपडेट कराएं इससे समय और पैसों की बचत होगी।

5.1 आधार पंजीकरण/अपडेट फॉर्म के लिए शुल्क नहीं है

किसी भी निबंधक द्वारा संचालित आधार केंद्र जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, BSNL, CSCs या राज्य सरकार के कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर या UIDAI द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र पर जाते समय यह ध्यान रहे कि आधार पंजीकरण/अपडेट फॉर्म के लिए शुल्क नहीं दें। शुल्क सिर्फ आधार अपडेट या प्रिंट के लिए है जैसा कि ऊपर बताया गया है। यदि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आप लागू शुल्क का ऑनलाइन भुगतान के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

uidai.gov.in से आधार पंजीकरण/अपडेट फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म के लिए किसी भी एजेंट/एजेंसी को शुल्क का भुगतान नहीं करें।

5.2 यदि आप से केंद्र द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है या आप केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो कैसे शिकायत कैसे दर्ज कराएं

यदि केंद्र द्वारा ऊपर वर्णित निर्धारित सेवा शुल्क से अधिक शुल्क ली जाती है तो आप निम्न तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

- 1947 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करें
- help@uidai.gov.in पर केंद्र के विवरण के साथ अपना URN और संपर्क विवरण ईमेल करें।
- https://resident.uidai.gov.in/file-complaint पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- निवासी संबंधित निबंधक जिसका विवरण आपके केंद्र पर उपलब्ध रहता है के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अनुभाग 6: आधार प्राप्त करना

6.1 आधार जेनरेशन या बनना

एक बार आधार बन जाता है या अपडेट आग्रह जो आपके द्वारा सबमिट किया गया था पूर्ण हो जाता है तो आपका आधार पत्र मुद्रित कर आपके निबंधित पते पर भारतीय डाक के सामान्य डाक सेवा द्वारा भेज दिया जाता है।

आप 1947 पर कॉल करके आधार पत्र डिसपैच करने की तारीख पता कर अपने स्थानीय डाक घर के साथ आधर पत्र की प्राप्ति के लिए समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

6.2 आधार पत्र

एक बार आधार बन जाता है या अपडेट आग्रह जो आपके द्वारा सबमिट किया गया था पूर्ण हो जाता है तो आपका आधार पत्र मुद्रित कर आपके निबंधित पते पर भारतीय डाक के सामान्य डाक सेवा द्वारा भेज दिया जाता है। जब आपका आधार पत्र डिस्पैच कर दिया जाता है तब आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा यदि आपने पंजीकरण फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया था।

आप 1947 पर कॉल करके आधार पत्र डिसपैच करने की तारीख पता कर अपने स्थानीय डाक घर के साथ आधर पत्र की प्राप्ति के लिए समन्वय स्थापित कर सकते हैं।

यदि आपको आधार पत्र डिस्पैच की तारीख के 15 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं होता है तब आप अपने स्थानीय डाक घर से ?`विलंब के कारण की जांच के लिए संपर्क कर सकते हैं।

6.3 ई–आधार डाउनलोड

आप अपना आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट: https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ या mAadhaar ऐप्प से भी उाउनलोड कर सकते हैं। आप इनके द्वारा अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं:

- पंजीकरण क्रमांक (Enrolment ID) का उपयोग करके: आधार डाउनलोड करने के लिए 28 अंकों के अपने पंजीकरण क्रमांक के साथ पूरा नाम और (पंजीकरण के दौरान दिया गया) का उपयोग करें।
- आधार नंबर का उपयोग करके: अपने आधार को डाउनलोड करने के लिए पूरा नाम और पिन कोड के साथ 12 अंकों के आधार नंबर का उपयोग करें।

6.3.1 आधार डाउनलोड करने के लिए OTP और पासवर्ड

आधार डाउनलोड करने के लिए आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होता है। इस OTP के अतिरिक्त आप ई–आधार डाउनलोड करने के लिए T-OTP या समय आधारित T-OTP का उपयोग कर सकते हैं। mAadhaar ऐप्प का उपयोग करके T-OTP प्राप्त किया जा सकता है।

डाउनलोड किया गया आधार, जिसे ई–आधार के नाम से भी जाना जाता है, आपके आधार की एक संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है। इसे pdf डॉक्युमेंट के रूप में डाउनलोड किया जाता है। आपके ई–आधार pdf फाईल का पासवर्ड कैपिटल अक्षरों में आपके नाम के पहले 4 अक्षर और जन्म वर्ष (YYYY) को जोड़कर बनता है। ई–आधार के विषय में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर जाएं:

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html

6.3.2 ई–आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य या मंजूर करना

आपका ई–आधार डिजिटल रूप से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित है। यदि आपके ई–आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रश्न चिह्न (?) का संकेत दिखाता है तो आपको किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने से पहले डाउनलोड किए गए आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करना होगा। ई–आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य या मंजूर करने वाला वीडियो देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं: https://youtu.be/qKltutvyUnU

6.3.3 डाउनलोड किया गया आधार कानूनी रूप से मान्य है

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आधार कानूनी रूप से वैध दस्तावेज है और इसे डाक द्वारा प्राप्त आधार पत्र के समान ही उपयोग किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए आधार पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके इसे सत्यापित किया जा सकता है। ई–आधार की वैधता के विषय में परिपत्र देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं:

https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf

6.4 mAadhaar मोबाइल एंप्प

आप अपने आधार को UIDAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप्प mAadhaar के माध्यम से अपने स्मार्टफोन में भी रख सकते हैं। यह ऐप्प आधार धारक को आधार से संबंधित 35 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। mAadhaar ऐप्प गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप्प स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एंड्रॉयड से ऐप्प डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाएं:

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN

ios mAadhaar ऐप्प डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाएं:

https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474

6.5 आधार PVC कार्ड

आधार PVC कार्ड UIDAI द्वारा पेश किया गया आधार का नवीनतम स्वरूप है। साथ लेकर चलने में आासान और टिकाऊ होने के अलावा PVC आधारित आधार कार्ड डिजिटली हस्ताक्षरित सुरक्षित QR कोड

समेत फोटोग्राफ और डेमोग्राफिक विवरणों समेत कई सुरक्षा विशेषताओं से युक्त है। इसे uidai.gov.in या resident.uidai.gov.in के माध्यम से 50 रूपये का न्यूनतम भुगतान कर ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है।

आधार PVC कार्ड निम्न सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं:

- सुरक्षित QR कोड
- माईक्रो टेक्स्ट
- जारी करने एवं मुद्रण की तारीख
- इंबोस्ड आधार लोगो
- होलोग्राम
- घोस्ट ईमेज
- गुलोचे पैटर्न

आधार PVC कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासी के पते पर पहुंचा दिया जाता है। वैसे निवासी जिनके आधार के साथ मोबाइल नंबर निबंधित नहीं है वे भी किसी अनिबंधित या वैकल्पिक मोबाइल नंबर के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। आधार PVC कार्ड ऑर्डर करने के लिए आप निम्न का उपयोग कर सकते हैं:

- 12 अंकों का आधार नंबर
- वर्चुअल ID (16 अंकों का VID जिसका उपयोग आधार के बदले टोकन के तौर पर किया जा सकता है)
- EID (28 अंकों का पंजीकरण क्रमांक)

आधार PVC कार्ड के लिए आप क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। आपके निबंधित या दिए गए मोबाइल नंबर पर स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग के लिए SRN (Service Request Number), आग्रह की स्थिति और AWB (Airway Bill Number) SMS से प्राप्त हो जाता है।

अनुभाग 7: आधार का सत्यापन

7.1 किसी भी आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें

किसी भी आधार नंबर को uidai.gov.in से ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। आप इस सेवा का उपयोग किसी भी आधार नंबर की, जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि प्रमाणिकता की जांच करने के लिए कर सकते हैं। दर्ज आधार नंबर के लिए आपको आधार धारक के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्राप्त होगा:

- यदि आधार नंबर मौजूद है
- आयु सीमा
- लिंग
- निवास का राज्य
- मोबाइल नंबर (केवल अंतिम 4 अंक मास्क के रूप में)

इसके अलावा, सेवा प्रदाता निम्नलिखित सेवाओं का उपयोग करके किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार का भी सत्यापन कर सकता है:

1. ऑनलाइन: https://resident.uidai.gov.in/verify से
2. mAadhaar ऐप्प से
3. आधार कोड स्कैनर ऐप्प या mAadhaar ऐप्प का उपयोग करके प्रस्तुत आधार पर उपलब्ध QR कोड को स्कैन करें

7.2 आधार पर सुरक्षित QR कोड

आधार पत्र में डिजिटली हस्ताक्षरित सुरक्षित QR कोड होता है, जिसमें फोटोग्राफ के साथ आधार धारक का डेमोग्राफिक विवरण होता है। इस QR कोड का उपयोग आधार धारक की पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।

सेवा प्रदाता को प्रस्तुत आधार पर सुरक्षित QR कोड को स्कैन करने के लिए आधार QR कोड स्कैनर ऐप्प भी उपलब्ध है। सुरक्षित QR कोड पर ट्यूटोरियल देखने के लिए इस लिंक पर जाएं :

https://youtu.be/kMgUpc63dFs

सुरक्षित QR कोड पर और अधिक पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं:
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta .html

अनुभाग 8: आधार ऑनलाइन सेवाएं

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाएं आधार वेबसाइट uidai.gov.in और mAadhaar ऐप्प के माध्यम से प्रदान करता है। अपने आधार डाटा की बेहतर दृश्यता और नियंत्रण पाने के लिए आप इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

8.1 आधार ऑनलाइन सेवाएं (जिसमें निबंधित मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है):

- **पंजीकरण केंद्र का पता लगाएं:** आप विभिन्न खोज मापदंडों का उपयोग कर के अपने नजदीकी आधार केद का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- **अपॉइंटमेंट बूक करें:** आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के लिए आधार पंजीकरण केंद्र पर अपॉइंटमेंट बूक कर सकते हैं।
- **आधार के स्थिति की जांच करें:** आप 14 अंकों के पंजीकरण क्रमांक या URN और पूरा नाम पिन कोड के साथ 14 अंकों के दिनांक और समय दर्ज कर अपने आधार पंजीकरण या अपडेट अनुरोध के स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- **ऑर्डर PVC कार्ड:** आप अपने या परिवार के सदस्यों के लिए PVC कार्ड ऑर्डश्र कर सकते हैं। यह सेवा शुल्क सहित है। और अधिक विवरण ऊपर खण्ड 6.4 में उपलब्ध है।

- **PVC कार्ड के स्थिति की जांच करें:** आप अपने PVC कार्ड के ऑर्डर के आग्रह की स्थिति की जांच SRN (Service Request Number) और आधार नंबर दर्ज कर के प्राप्त कर सकते हैं।
- **आधार सत्यापित करें:** इस सेवा का उपयोग किसी के द्वारा किसी प्रस्तुत आधार को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।

8.2 आधार ऑनलाइन सेवाएं (जिसमें निबंधित मोबाइल नंबर की जरूरत है):

आधार की कुछ ऑनलाइन सेवाओं के लिए OTP प्रमाणीकरण की जरूरत होती है इसलिए इनका उपयोग करने के लिए निबंधित मोबाइल नंबर अनिवार्य है। इस OTP के बजाए आप ई–आधार डाउनलोड करने के लिए T-OTP (समय आधारित OTP) का उपयोग कर सकते हैं। mAadhaar ऐप्प का उपयोग कर के T-OTP उत्पन्न किया जा सकता है।

- **डाउनलोड आधार:** आप अपने आधार को कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। यह एक निःशुल्क सेवा है और इसके लिए अनिवार्य OTP प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

आप एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 20 बार अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं।

- **गुम या खो गए UID/EID फिर से प्राप्त करें:** इस सेवा का उपयोग कर के आप अपनी खोई हुई आधार (UID) संख्या या पंजीकरण क्रमांक (EID) फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा के लिए अनिवार्य OTP प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

- **डेमोग्राफिक विवरण ऑनलाइन अपडेट करें:** यदि आपके पास आधार के साथ निबंधित मोबाइल नंबर है तो आप डेमोग्राफिक विवरण में अपडेट के लिए SSUP (Self-Service Update Poratal) का उपयोग कर ऑनलाइन आग्रह कर सकते हैं। इस सेवा के लिए अनिवार्य OTP प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

- **आधार बैंक लिंकिंग की स्थिति:** आप इस सेवा का उपयोग कर के MPCI मैपर में अपने आधार और बैंक खाता के लिंकिंग के स्थिति की जांच कर सकते हैं। इस सेवा के लिए OTP प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

आपको केवल एक खाते में आधार–आधारित क्रेडिट प्राप्त होगा जो आपने NPCI के मैपर पर मैप किया है।

- **आधार अपडेट का इतिहास:** आप अपने आधार में किए गए सभी अपडेट्स का कालानुक्रमिक इतिहास प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस सेवा के लिए OTP आपके निबंधित मोबाइल पर भेजा जाएगा।

- **ईमेल / मोबाइल नंबर का सत्यापन करें:** आप अपने आधार में दिए गए ईमेल/मोबाइल नंबर के सत्यापन के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस सेवा के लिए OTP आपके निबंधित मोबाइल पर भेजा जाएगा।

- **आधार प्रमाणीकरण का इतिहास:** इस सेवा का उपयोग करके, आप पिछले छह महीनों में आपके द्वारा किए गए आधार प्रमाणीकरण का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा के लिए OTP आपके निबंधित मोबाइल पर भेजा जाएगा।

- **ऑफलाइन eKYC सेवा:** इस सेवा का उपयोग करके आप डिजिटली हस्ताक्षरित आधार विवरण जेनरेट कर सकते हैं जिसका उपयोग आप KYC के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं।

8.3 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास आधार प्रक्रिया, सेवाएं और उत्पादों को समझने में निवासियों की मदद करने के लिए वेबसाइट और mAadhaar ऐप्प पर अक्सर पूछे जाने वाल प्रश्न से संबंधित अनुभाग है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html

अनुभाग 9: आपके आधार डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा

आपके डाटा की सुरक्षा आधार परियोजना के डिजाइन में निहित है। एक यादृच्छिक (Random) संख्या होने से यह नीचे सूचीबद्ध अन्य विशेषताओं के कारण किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं करता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने उद्देश्य और उद्देश्यों के केंद्र में निवासी के हित को रखता है।

9.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण गोपनीयता और सूचनाओं की सुरक्षा करता है

- **सीमित जानकारी एकत्र करना:** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा एकत्रित डाटा आधार नंबर जारी करने के उद्देश्य तक सीमित है और आधार नंबर धारक के पहचान की पुष्टि करता है। पहचान स्थापित करने के लिए सिर्फ मूल डाटा लिया जाता है – नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और बायोमेट्रिक डाटा जिसमें फोटोग्राफ, दसो अंगुली की छाप औश्र

आयरिश का स्कैन शामिल है। माता–पिता/अभिभावक का नाम बच्चों के लिए जरूरी है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। मोबाइल नंबर और ईमेल वैकल्पिक हैं।

- **प्रोफाइलिंग और ट्रैकिंग जानकारी एकत्र नहीं की जाती है:** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की नीति इसे धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, जातीयता, आय और स्वास्थ्य की स्थिति जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से रोकती है। UIDAI की प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग संभव नहीं है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया गया डाटा पहचान और पहचान की पुष्टि तक ही सीमित है।

- **डाटा एन्क्रिप्शन के साथ प्रमाणित मशीनें:** आधार पंजीकरण/अपडेट सिर्फ प्रमाणित मशीनों का उपयोग करके UIDAI प्रदत सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ट्रांजिट या पारगमन के दौरान डाटा लिक न हो इसके लिए जैसे ही डाटा एकत्र किया जाता है वैसे ही उसे एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है।

- **सूचना जारी करना – हां या ना में उतर:** UIDAI, आधार डाटाबेस में व्यक्तिगत जानकारी को उजागर नहीं करता है। यदि आप सत्यापन के लिए आधार का उपयोग करते हैं तो UIDAI की ओर से एकमात्र उतर हां या ना में होगा।

- **अन्य डाटाबेस से UIDAI की जानकारी को जोड़ना और लिंक करना:** आधार डाटाबेस किसी दूसरे डाटाबेस से या दूसरे डाटाबेस में रखी गई जानकारी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य सेवा प्राप्त करने के बिंदु पर किसी व्यक्ति की पहचान को सत्र्यापित करना है और वह भी आधार धारक की सहमति से।

9.2 CIDR में डाटा सुरक्षा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के केंद्रीय पहचान डाटा कोष (CIDR) में सभी आधार धारकों का डाटा सुरक्षित और संरक्षित है। CIDR को जरूरी सुरक्षा मंजूरी के साथ चयनित व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और भैतिक रूप से संरक्षित किया जाता है। यह डाटा एक अत्याधिक सुरक्षित डाटा वॉल्ट में उपलब्ध सर्वोत्तम एन्क्रिप्शन तकनीकों के साथ सुरक्षित है। सभी प्रवेश (access) विवरण सही तरीके से लॉग किए गए हैं।

UIDAI के पास सख्त सुरक्षा और भंडारण प्रोटोकॉल हैं। सुरक्षा उल्लंघन और पहचान की जानकारी का खुलासा करने के लिए गंभीर दंड का प्रावधान किया गया है। CIDR में किसी भी अनाधिकार प्रवेश समेत हैकिंग और CIDR में किसी प्रकार के छेड़छाड़ के लिए भी आधार अधिनियम 2016 के अनुसार गंभीर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

9.3 आधार के अपनी जानकारी को आप कैसे और सुरक्षित रख सकते हैं

इन सुरक्षा अभ्यासों या प्रथाओं के अलावा कुछ और ऑनलाइन सेवाएं भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाती है जो आपके आधार विवरण को निजी रखने और आपके डाटा सुरक्षा में एक और परत जोड़ता है जो इस प्रकार है:

- **आभासी पहचान (VID) जेनरेटर:** जब आप आधार आधारित सत्यापन सेवा का उपयोग कर रहे हैं और यदि आप अपना आधार नंबर साझा करना नहीं चाहते हैं तो आप 16 अंकों का आभासी पहचान या VID का उपयोग कर सकते हैं। आप अपना VID, uidai.gov.in, mAadhaar ऐप्प या SMS के द्वारा जेनरेट या उत्पन्न कर सकते हैं।

  VID के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएं:
  https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html

- **बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक:** यह सेवा आपको आपके बायोमेट्रिक को लॉक और अस्थायी रूप से अनलॉक करने में सक्षम बनाता है। इस सेवा के लिए OTP आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

  बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर जाएं:
  https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html

- **आधार लॉक/अनलॉक:** यदि आप अपने आधार का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने आधार नंबर को लॉक कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक और OTP आधारित सत्यापन आधार, VID और ANCS का उपयोग करके करने में सक्षम नहीं होंगे। आधार को सिर्फ आभासी पहचान (VID) का उपयोग करके अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा।

  आधार लॉक/अनलॉक के विषय में और अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जाएं:
  https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadarar-lock-unlock.html

अनुभाग 10: शिकायत निवारण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आपकी चिंताओं को व्यक्त करने या आधार से संबंधित प्रतिक्रिया साझा करने के लिए विभिन्न स्पर्श बिंदु बनाए हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म सुविधाजनक रूप में उपलब्ध हैं जिनके

द्वारा UIDAI के समर्पित केंद्रीय सहायता टीमें आपकी सहायता करने को तत्पर है। आप UIDAI से इन प्लेटफॉर्मों से संपर्क कर सकते हैः जिन

10.1 आधार संपर्क केंद्र – हेल्पलाइन 1947

आप अपने लैंडलाइन या मोबाइल फोन से टॉल फ्री हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं और स्वचालित IVRS के माध्यम से सहायता या आधार केयर एक्सक्युटिव से बात कर सकते हैं। आधार संपर्क केंद्र 13 भाषाओं – हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मरीठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी, मलयालम, उर्दु और अंग्रेजी भाषा में सहायता प्रदान करता है। आप अपने नजदीकी आधार केंद्र का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अपने आधार सेवा आग्रह के स्थिति, अपडेट निरस्त के मामलों में सही प्रक्रिया के संबंध में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गुम हो गए अपने आधार पंजीकरण क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं या आधार संपर्क केंद्र में कॉल करके किसी भी आधार सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

10.2 ईमेल के माध्यम से सहायता

आप आधार से संबंधित अपने प्रश्न/प्रतिक्रिया/सुझाव या शिकातें help@uidai.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इस संपर्क केंद्र को पेशेवरों की एक समर्पित टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टिकटिंग प्रणाली के जरिए आपकी केस आई डी बनती है जो आपके ईमेल के जवाब में आपके साथ साझा की जाती है। इस केस आई डी की सहायता से आप अपने केस की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं।

10.3 आधार वेबसाइट

आधार वेबसाइट पर आधार से संबंधित जानकारी, आधार ऑनलाइन सेवाएं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दस्तावेजों के सभी भंडार और अन्य सभी उपयोगी संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। आप भारत में कहीं से भी अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप से UIDAI की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर पहुंच सकते हैं। उपलब्ध जानकारी को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत अलग किया गया हैः

- **मेरा आधार अनुभागः** पंजीकरण/अपडेट प्रक्रिया, आधार केंद्रों की जानकारी, अपॉइंटमेंट की अग्रिम बुकिंग ई–आधार डाउनलोड करना, पंजीकरण/अपडेट के बाद आधार के स्थिति की जांच करना, गुम हो गए EID/UID फिर से प्राप्त करना, ऑर्डर आधार PVC कार्ड आदि।
- **UIDAI से संबंधित अनुभागः** यह अनुभाग विस्तृत पैमाने पर UIDAI की परिकल्पना और उसके मिशन संगठनात्मक संरचना, प्राधिकरण की संरचना के साथ–साथ कानूनी ढांचे, नियम,

विनियम, अधिसूचना और UIDAI के साथ काम करने के अवसरों के संबंध में https://uidai.gov.in/about-uidai.html पर जानकारी देता है।

- **ईकोसिस्टम अनुभाग:** प्रमाणीकरण डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रमाणीकरण दस्तावेज, QR कोड रीडर और कागज रहित eKYC की जानकारी: https://uidai.gov.in/ecosystem.html पर उपलब्ध है।

- **संपर्क और सहायता अनुभाग:** आप https://uidai.gov.in/contact-support.html के माध्यम से UIDAI निर्देशिका और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंच सकते हैं और UIDAI की वेबसाइट पर शिकायत निस्तारण के लिए बनाए गए शिकायत अनुभाग पर जा सकते है।
  आप वेबसाइट पर उपलब्ध पिवभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं साथ ही UIDAI टीम के संपर्क विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के लिए एक समर्पित अनुभाग है जो सभी आधार प्रक्रियाओं और सेवाओं से संबंधित प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देता है।

किसी भी शिकायत के लिए आप: https://resident.uidai.gov.in/file-complaint पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं यही नहीं आप: https://resident.uidai.gov.in / check-complaintstatus पर अपने शिकायत की स्थिति देख भी सकते हैं।

10.4 आधार चैटबोट

UIDAI ने आधार वेबसाइट पर आपके लिए एक नई सेवा आधार चैटबोट शुरू की है। आप आधार से संबंधित अपने प्रश्न चैटबोट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको बस uidai.gov.in पर जाना होगा और पेज के दाहिने हाथ के निचले हिस्से पर 'Ask Aadhaar' आइकॉन पर क्लिक करना होगा। 'Ask Aadhaar' आपके सवालों का तुरंत सटीक जवाब देता है। आप हमारे चैटबोट के लिए सलाह भी दे सकते हैं। हमें इस सेवा को बेहतर बनाने में आपके सुझावों को शामिल कर प्रसन्नता होगी।

आधार से संबंधित प्रश्नों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से 'Ask Aadhaar' चैटबोट आपके प्रश्नों का तुरंत सटीक उत्तर देता है। आप हमारे चैटबोट के लिए फीडबैक भी दे सकते हैं और हमें आपके सुझावों को शामिल कर प्रसन्नता होगी।

10.5 सोशल मीडिया

आज दुनिया में सोशल मीडिया संचार के सबसे पसंदीदा और सुलभ माध्यम के रूप में तेजी से बदल रहा है। आधार सोशल मीडिया के प्रभाव और उपयोग को समझता है और आधार धारकों का बहु–आयामी मंच प्रदान करता है।

10.5.1 आधिकारिक सोशल मीडिया प्रोफाइल

आप UIDAI टीम तक निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकते हैं:

10.5.1.1 ट्विटरः

UIDAI के निम्नलिखित आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं:

राष्ट्रीय स्तर परः

- आधिकारिक आधार ग्राहक सेवा हैंडल – @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care)
- वह हैंडल जहां आपको आधार से संबंधित सभी जानकारीध्घोषणाएं मिलेंगी – @UIDAI (https://twitter.com/UIDAI)
- UIDAI के मुख्य कार्यकार अधिकारी की आधिकारिक प्रोफाइल – @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai)

क्षेत्रीय स्तर परः

- आधार क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आधार क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) चंडीगढ़, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आधार कार्यालय दिल्ली का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उतराखंड के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आधार क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश,

त्रिपुरा और सिक्किम के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।

- आधार कार्यालय हैदराबाद का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छतीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आधार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) उत्तर प्रदेश के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आधार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव़, दादरा और नागर हवेली के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आधार कार्यालय रांची का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट – @UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के निवासी इस अकाउंट से आधार से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं।

आप ट्वीट से या सीधे संदेश के माध्यम से UIDAI तक पहुंच सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया शिकायत निवारण टीम आपकी मदद करेगी।

10.5.1.2 फेसबुक:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण फेसबुक पर भी उपस्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर @AadhaarOfficial - www.facebook.com/AadhaarOfficial के माध्यम से हम फेसबुक पर उपस्थित है जबकि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की भी फेसबुक पर उपस्थिति है। आप सभी नवीनतम जानकारियों के लिए हमें लाईक और फॉलो कर सकते हैं। विशिष्ट प्रश्नों के लिए हमें अपने किसी भी फेसबुक पोस्ट पर एक निजी संदेश या टिप्पणी भेज सकते हैं।

10.5.1.3 युट्यूब:

हम https://www.youtube.com/user/AadhaarUID YouTube आधिकारिक आधार चैनल पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। आप युट्यूब पर 'Aadhaar UID' की खोज कर सकते हैं और हमारे आधिकारिक चैनल की निःशुल्क सदस्यता ले सकते हैं। इस चैनल पर हमारी ऑनलाइन सेवाओं के सभी ट्यूटोरियल वीडियो,

आधार से संबंधित सूचनात्मक वीडियो, हमारे सभी टेलीविजन विज्ञापन, विशेष संदेशों, समाचार रिपोर्टों, प्रतियोगिता वीडियो आदि उपलब्ध हैं। पूरी जानकारी के अतरिक्त यह चैनल आपको देश भर में आधार धारकों द्वारा बनाई गई अद्भूत वीडियो सामग्री की एक झलक भी उपलब्ध कराता है। आप हमारे वीडियो पर टिप्पणी या प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं।

10.5.1.4 इंस्टाग्राम:

UIDAI ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर आधार का आधिकारिक कस्टमर केयर अकाउंट लॉन्च किया है। आप हमें @aadhaar_Official (https://instagram.com/aadhaar_official) पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी विशिष्ट प्रश्न के लिए आप हमें एक संदेश भेज सकते हैं और हमारी टीम आपके प्रश्नों का जवाब देगी।

10.5.1.5 लिंक्डइन:

लिंक्डइन पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधिकारिक पेज: https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai- है। इस प्रोफाइल पर आधार से संबंधित जानकारी और समाचार साझा किए जाते हैं।

10.5.2 नकली या फर्जी प्रोफाइल/यूजर अकाउंट से सावधान रहें

UIDAI के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया प्रोफाइल सत्यापित हैं और यह सलाह दिया जाता है कि आप सिर्फ आधिकारिक प्रोफाइल को ही फॉलो या संपर्क करें। नकली या फर्जी प्रोफाइल के किसी पोस्ट पर विश्वास नहीं करें। किसी अन्य सोशल मीडिया अकाउंट जो आधार या UIDAI का होने का दावा करता है उसके साथ न तो बातचीत में शामिल हों न ही अपनी जानकारी साझा करें। कृपया ध्यान दें यदि किसी व्यक्ति ने आधार की आधिकारिक प्रोफाइल को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने कार्य स्थल के रूप में जोड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह UIDAI का कर्मचारी है। कृपया किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यस्थल के दावे की पुष्टि के लिए: uidai.gov.in पर उपलब्ध संपर्क निर्देशिका को देखें।

10.6 आधार क्षेत्रीय कार्यालय

UIDAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आठ क्षेत्रीय कार्यालय कामकाज, संचालन प्रबंधन और समस्या समाधान में सुविधा हो इस बात को ध्यान रखते हुए स्थापित किए हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के पास निर्धारित क्षेत्राधिकार है जो उस क्षेत्र विशेष से संबंधित कार्यों, समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण करता है। https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html पर सभी क्षेत्रीय कार्यालय का संपर्क विवरण उपलब्ध है। आठ क्षेत्रीय कार्यालय ये हैं:

- नई दिल्ली – नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उतराखंड को आच्छादित करता है।
- बेंगलुरू – कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप को आच्छादित करता है।
- चंडीगढ़ – चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को आच्छादित करता है।
- मुंबई – महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली को आच्छादित करता है।
- रांची – झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को आच्छादित करता है।
- गुवाहाटी – असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम को आच्छादित करता है।
- लखनऊ – उतर प्रदेश को आच्छादित करता है।
- हैदराबाद – आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छतीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आच्छादित करता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के संपर्क विवरण प्राप्त करने के लिए: https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html लिंक पर जाएं।

अनुभाग 11: आधार अधिनियम 2016

UIDAI एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसका गठन 26 मार्च, 2016 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित आधार (वितीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

UIDAI को 12 जुलाई, 2016 को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया था। डॉ ए. बी. पांडे को 21 जुलाई, 2016 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों को 12 सितंबर, 2016 को नियुक्त किया गया था, इसी दिन धारा 21 के अतिरिक्त अधिनियम के सारे अनुच्छेद भी अधिसूचित किए गए।

निम्नलिखित नियमों को 14 सितंबर, 2016 को अधिसूचित किया गया था:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में व्यवसाय का लेन–देन) विनियम, 2016 (2016 की क्रम संख्या 1)
- आधार (पंजीकरण और अपडेट) विनियम, 2016 (2016 की क्रम संख्या 2)

- आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016 (2016 की क्रम संख्या 3)
- आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की क्रम संख्या 4)
- आधार (सूचना का साझाकरण) विनियम, 2016 (2016 की क्रम संख्या 5)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), एक स्वायत संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्यरत है।

11.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का उतरदायित्व या जिम्मेदारी

आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार पंजीकरण और प्रमाणीकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिम्मेदार या उतरदायी है। इसकी जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आधार के जीवन चक्र (life cycle) के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन
- नीतियों का विकास
- व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने की प्रक्रिया और प्रणाली
- प्रमाणीकरण का निष्पादन

अनुभाग 12: आधार (पंजीकरण और अपडेट) विनियम, 2016

आपका पंजीकरण और अपडेट, आधार (पंजीकरण और अपडेट) विनियम, 2016 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए प्रत्यक्ष संबंधों के विनियमों को पुनः नीचे प्रस्तुत किया गया है:

12.1 अध्याय ।। – निवासी पंजीकरण प्रक्रिया

3. पंजीकरण के लिए जरूरी बायोमेट्रिक जानकारी

(1) पंजीकरण से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों (5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ कर) से निम्नलिखित बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाएगी:

- चेहरे की छवि
- सभी दस अंगुलियों के निशान तथा
- दोनो आयरिश (आंख की पुतलियों के निशान) का स्कैन

(2) बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के मानक प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए जिस प्रकार निर्दिष्ट किए जाएंगे

4. पंजीकरण के लिए जरूरी डेमोग्राफिक जानकारी

(1) पंजीकरण से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों (5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ कर) से निम्नलिखित डेमोग्राफिक जानकारी एकत्र की जाएगी:

- नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- आवासीय पता

(2) पंजीकरण के दौरान पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निम्नलिखित डेमोग्राफिक जानकारी अतिरिक्त रूप से एकत्र की जा सकती है:

- मोबाइल नंबर
- ईमेल आई डी

(3) परिचय आधारित पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाएगी:

- परिचयकर्ता का नाम
- परिचयकर्ता का आधार नंबर

(4) परिवार के मुखिया आधारित पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाएगी:

- परिवार के मंखिया का नाम
- व्यक्ति से संबंध
- परिवार के मुंखिया का आधार नंबर
- परिवार के मुखिया की कोई एक बायोमेट्रिक जानकारी
- ऊपर वर्णित डेमोग्राफिक जानकारी के मानकों को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
- डेमोग्राफिक जानकारी में जाति, धर्म, गोत्र, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के अभिलेख, निवासी की आय तथा चिकित्सीय इतिहास शामिल नहीं होगा।

5. पांच साल से कम उम्र के बच्चों के पंजीकरण के लिए जरूरी जानकारी

(1) पांच साल से कम उम्र के बच्चों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाएगी:

- नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- किसी भी एक अभिभावक का पंजीकरण क्रमांक या आधार, यदि माता–पिता या अभिभावक में दोनो जीवित हों तो माता को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे माता–पिता या

अभिभावक का आधार नंबर या पंजीकरण क्रमांक अनिवार्य है और बच्चे से संबंध भी दर्ज की जाएगी।

- ऐसे बच्चों का पता वही होगा जो माता–पिता या अभिभावक का पता है जिसके साथ बच्चे का पंजीकरण लिंक्ड है।
- बच्चे के चेहरे का फोटो लिया जाएगा। पंजीकरण के दौरान माता–पिता या अभिभावक में से किसी एक की बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र किया जाएगा या प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(2) संबंध के दस्तावेज (PoR) जो अनुसूची II में सूचीबद्ध है, माता–पिता या अभिभावक और बच्चे के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय एकत्र किया जाएगा। संबंध के दस्तावेज (PoR) के आधार पर केवल उन बच्चों का पंजीकरण किया जा सकता है जिनके नाम संबंध के दस्तावेज में दर्ज हैं।

6. बायोमेट्रिक अपवाद वाले निवासियों का पंजीकरण

(1) जो निवासी चोट, विकृति, कटे अंगुलियों या हाथों या किसी अन्य प्रासंगिक कारणों से अंगुलियों के निशान देने में सक्षम नहीं है, ऐसे निवासी के सिर्फ आंख की पुतलियों का स्कैन किया जाएगा।

(2) जो निवासी इन विनियमों के अनुसार कोई भी बायोमेट्रिक जानकारी देने में सक्षम नहीं हैं, प्राधिकरण पंजीकरण और अपडेट सॉफ्ब्वेयर में ऐसे अपवादों से निपटने के लिए सुविधा प्रदान करेगा तथा ऐसे पंजीकरण उसी प्रक्रिया से किए जाएंगे जो इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हैं।

12.2 अध्याय IV – निवासी के जानकारी का अपडेट

16. पहचान की जानकारी में अपडेट का आग्रह –

आधार अधिनियम की धारा 31 के तहत आधार नंबर धारक अपने डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव कर सकता है।

17. बच्चों के लिए अनिवार्य अपडेट –

प्राधिकरण द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार पांच साल और 15 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी।

19. निवासी के जानकारी को अपडेट करने का माध्यम –

CIDR में निवासियों की जानकारी को अपडेट करने की प्रक्रिया निम्नलिखित माध्यमों से की जा सकती है:

(a) किसी भी पंजीकरण केंद्र पर ऑपरेटर और/या पर्यवेक्षक की सहायता से निवासी का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक से किया जाएगा और अपडेट करने के लिए मांगी गई जानकारी के साथ उसका आधार नंबर देना जरूरी होगा।

(b) ऑनलाइन माध्यमः आधार नंबर और निबंधित मोबाइल नंबर देने पर निर्दिष्ट पोर्टल के द्वारा डेमोग्राफिक जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। निबंधित मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा।

अपडेट की स्थिति पर नजर रखने के लिए निवासी को एक अपडेट प्व दी जाएगी और संशोधित आधार पत्र प्रक्रिया के अनुसार भैतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवासी को उपलब्ध कराया जा सकता है, जो इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। अपडेट मानकों और दिशा–निर्देशों के साथ–साथ अपडेट करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रारूप, टेम्पलेट, चेकलिस्ट की प्रक्रियाओं का इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

20. सुविधा शुल्क –

निवासियों से सुविधा शुल्क वसूलने के लिए प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार या निबंधक को प्राधिकृत किया जा सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा ढेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी अपडैट करने के लिए विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा।

12.3 अध्याय VI – आधार नंबर और पहचान की जानकारी का निरस्तीकरण या निष्क्रियकरण

27. आधार नंबर निरस्त करने के मामले में –

(1) आधार नंबर धारक का आधार नंबर निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जाएगाः

(a) यदि यह सिद्ध हो जात है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक आधार नंबर जारी किए गए हैं तो पहले के पंजीकरण के दौरान सौंपे गए आधार नंबर को बरकरार रखा जाएगा औश्र बाद के सभी आधार नंबर निरस्त कर दिए जाएंगे।

(b) जहां निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करके आधार बनाया गया हैः

(i) ''फोटो से फोटो'' के मामले में जहां मूल बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैः पंजीकरण केंद्र में निवासी की एक फोटो लेने के बजाए पंजीकरण के लिए पहले से मौजूद फोटो का उपयोग किया जाता है और पंजीकरण के दौरान मूल बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं की गई है उेसे मामलों में निवासी का आधार नंबर निरस्त कर दिया जाएगा।

(ii) ''गलत बायोमेट्रिक अपवाद'' के मामलेः जिन मामलों में गलत जानकारी देकर बायेमेट्रिक अपवाद के मामले बना दिए जाते हैं ऐसे मामलों में आधार नंबर निरस्त कर दिया जाएगा।

(iii) जिन मामलों में एक व्यस्क को पांच साल से कम उम्र के बच्चों के रूप में पंजीकरण किया गया है ऐसे मामलों में आधार नंबर निरस्त कर दिया जाएगा।

(iv) पंजीकरण का कोई और मामला जिसमें प्राधिकरण से धोखाघड़ी प्रतीत हो को निरस्त करने की जरूरत है।

(2) निरस्तीकरण करने पर प्राधिकरण द्वारा आधार नंबर धारक को दी जाने वाली सेवाओं को स्थायी रूप से खत्म कर दिया जाएगा।

28. आधार नंबर निष्क्रिय करने की जरूरत वाले मामले –

(1) निम्नलिखित परिस्थितियों में आधार धारक का आधार नंबर निष्क्रिय किया जाएगाः

(a) ''फोटो से फोटो'' और मूल बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध हैः जिन मामलों में पंजीकरण केंद्र में नवीनतम फोटोग्राफ लेने के बजाए निवासी का पहले से उपलब्ध फोटो का उपयोग किया जाता है और निवासी की बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई है ऐसे मामलों मं आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे निवासियों के फोटो के सफल अपडेट पर उनका आधार फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

(b) ''आंशिक बायोमेट्रिक अपवाद'' के फर्जी मामलेः जिन मामलों में बायोमेट्रिक जानकारी में उपयोग होने वाली कुछ विशेषताओं के रहने के बावजूद निवासी द्वारा प्रदान नहीं किया गया है ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय किया जा सकता है।

(c) बाद के चरण में जहां यह पाया जाता है कि पंजीकरण बिना वैध दस्तावेजों के आधार पर किया गया है ऐसे आधार नंबर को तब तक निष्क्रिय किया जाएगा जब तक आधार धारक द्वारा वैध दस्तावेजों को प्रस्तुत करके आधार अपडेट नहीं कराया जाता है।

(d) जिन मामलों में अनुपयुक्त डाटा और अपडेट की जरूरत के रूप में चिह्नित किया गया है जैसे किः मिश्रित, विसंगतिपूर्ण बायोमेट्रिक जानकारी, अपमानजनक या अनुपूरक शब्द और निवासी के डेमोग्राफिक जानकारी में अशिष्ट भाषा, उर्फ या उपनाम का उपयोग करके एक नाम में कई नाम शामिल किया गया है ऐसे मामलों में आधार नंबर तक तक निष्क्रिय रहेगा जब तक आधार धारक द्वारा इसे अपडैट नहीं किया जाता है।

(e) पांच और पंद्रह साल का बच्चा जो इस उम्र को प्राप्त कर लेने के दो साल के अंदर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट नहीं कराता है उसका आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आधार नंबर को निष्क्रिय करने के एक साल समाप्त हो जाने के बाद अपडैट नहीं किया गया है तो ऐसे आधार नंबर को समाप्त कर दिया जाएगा।

(f) कोई अन्य मामला जिसे प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

(2) प्राधिकरण द्वारा आधार धारक को दी जाने वाली सुविधाएं अस्थायी रूप से तब तक बंद कर दी जाती है जब तक निष्क्रिय किए गए आधार नंबर के धारक द्वारा अपना आधार या जानकारी को अपडेट नहीं कराया जाता है जिसके कारण निवासी का आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया गया था।

29. निष्क्रिय या निरस्त कर दिए गए मामलों की जांच –

(1) जब किसी ऐसे मामले की जानकारी या सूचना प्राप्त होती है या निरस्त या निष्क्रिय करने के लिए कोई संभावित मामला सामने आता है उसमें फील्ड जांच की जरूरत हो सकती

है तथा संबंधित आधार धारकों जिनके आधार नंबर को निरस्त या निष्क्रिय करने की मांग की जाती है उनको उनका पक्ष रखने की जरूरत होगी।

(2) इस कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा नामित एक एजेंसी प्राधिकरण की निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार जांच या पूछताछ करेगी और प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(3) रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण जरूरी कार्रवाई शुरू कर सकता है और आधार नंबर को निरस्त या निष्क्रिय का निर्णय प्राधिकरण के पास होगा।

30. आधार नंबर धारक को सूचित करना –

(1) आधार नंबर धारक को कारण के साथ SMS, निबंधित ईमेल, टेलीफोन करके, पत्र या उन साधनों से उनके आधार नंबर के निरस्त या निष्क्रिय होने की जानकारी दी जाएगी जिसे प्राधिकरण द्वारा उचित समझा गया है।

(2) निरस्तीकरण या निष्क्रियकरण के संबंध में आधार नंबर धारक की शिकायत को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से विचार–विमर्श किया जा सकता है।

31. सुधार की कार्रवाई –

(1) एक से अधिक आधार नंबर जारी किए जाने के अलावा अन्य कारणों से आधार नंबर के निरस्तीकरण के मामलों में निवासी को फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत होगी।

(2) आधार नंबर निष्क्रिय होने की स्थिति में निवासी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों या नीतियों के अनुसार अपनी पहचान की जानकारी को आंशिक रूप से पूरी तरह जैसी जरूरत हो अपडेट कराने की जरूरत होगी।

अनुभाग 13: परिशिष्ट

13.1. अनुलग्नक I – वैध सहायक दस्तावेजों की सूची

पहचान के स्वीकार्य प्रमाणों (PoI) की सूची जिसमें नाम दर्ज हो और फोटो लगा हो

1. पासपोर्ट
2. पैनकार्ड
3. राशन / पीडी एस फोटो कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
9. शस्त्र लाइसेंस
10. फोटो युक्त बैंक का ए टी एम कार्ड
11. फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड
12. फोटो युक्त पेंशनर कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी का फोटो पहचान पत्र
14. फोटो युक्त किसान क्रेडिट कार्ड / पासबुक
15. CGHS/ECHS फोटो पहचान पत्र
16. भारतीय डाक द्वारा जारी फोटो युक्त पते का प्रमाण जिसमें नाम दर्ज हो
17. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण
18. केन्द/राज्य सरकार/ /प्रशासन द्वारा जारी अपंगता या विकलांगता से संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र
19. भामाशाह कार्ड
20. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, अनाथालय के हेड/ वार्डन मैट्रॉन/सुपरिटेन्डेन्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र
21. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में MP/MLA/ MLC या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण
22. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी जारी प्रमाण (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
23. नाम में परिवर्तन के लिए गजट नोटिफिकेशन
24. फोटो लगा हुआ मैरिज सर्टिफिकेट
25. RSBY कार्ड
26. SSLC book जिसमें उम्मीदवार का फोटो लगा हो
27. ST/SC/OBC सर्टिफिकेट फोटो के साथ
28. स्कूल लिविंग या स्कूल ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC) जिसमें नाम दर्ज हो और फोटो लगा हो
29. Extract of School Records जिसमें नाम दर्ज हो और फोटो लगा हो और स्कूल के प्रधानाध्यापक या हेड द्वारा जारी किया गया हो
30. बैंक पासबूक जिसमें नाम दर्ज हो और फोटो लगा हो
31. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के हेड द्वारा हस्ताक्षरित पहचान का प्रमाण जिसमें नाम दर्ज हो और फोटो लगा हो
32. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप पर कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) द्वारा जारी पहचान का प्रमाण जिसमें नाम, जन्म तिथि दर्ज हो और फोटो लगा हो।

संबंध के स्वीकार्य प्रमाणों (PoR) की सूची

1. पी डी एस कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. CGHS/राज्य सरकार/ECHS/ESIC मेडिकल कार्ड
4. पेंशनर कार्ड
5. आर्मी कैंटीन कार्ड
6. पासपोर्ट
7. जन्म निबंधक, नगर निगम या अन्य स्थानीय सरकारी निकाय जैसे: तालुका, तहसील द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
8. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता का दस्तावेज
9. सरकार द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट
10. भारतीय डाक द्वारा जारी फोटो युक्त पते का प्रमाण
11. भामाशाह कार्ड
12. बच्चे के जन्म के बाद सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड या स्लीप
13. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में MP/MLA/MLC या वार्ड पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान का प्रमाण
14. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में फोटो युक्त पहचान एवं परिवार के मुखिया के साथ संबंध इंगित करने का प्रमाण जो ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी किया गया हो (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)

जन्म तिथि के स्वीकार्य प्रमाणों (DoB) की सूची

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. मैट्रिक का प्रमाण पत्र
3. पासपोर्ट
4. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में ग्रुप 'ए' राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण
5. पैन कार्ड
6. सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक पत्र
7. सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो
8. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर
9. CGHS फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक द्वारा स्वास्थ्य योजना अंशदान फोटो कार्ड
10. सरकारी प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी ID Card या प्रमाण जिसमें फोटो लगा हो एवं जन्म तिथि दर्ज हो
11. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फोटो ID Card जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो
12. स्कूल लिविंग या स्कूल ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC) जिसमें नाम और जन्म तिथि दर्ज हो
13. स्कूल का अभिलेख जिसमें नाम दर्ज हो और फोटो लगा हो और प्रधानाध्यापक या हेड द्वारा जारी किया गया हो
14. UIDAI द्वारा जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के हेड द्वारा हस्ताक्षरित पहचान का प्रमाण जिसमें नाम, जन्म तिथि दर्ज हो और फोटो लगा हो
15. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/ अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप पर कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) द्वारा जारी पहचान का प्रमाण जिसमें नाम, जन्म तिथि दर्ज हो और फोटो लगा हो।

पता के स्वीकार्य प्रमाणों (PoA)की सूची जिसमें नाम और पता दर्ज हो	पता के स्वीकार्य प्रमाणों (PoA)की सूची जिसमें नाम और पता दर्ज हो
1. पासपोर्ट 2. बैंक स्टेटमन्ट/पासबुक 3. पोस्ट ऑफिस स्टेटमेन्ट/पासबुक 4. राशन कार्ड 5. मतदाता पहचान पत्र 6. ड्राइविंग लाइसेंस 7.सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र 8. बिजली बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) 9. पानी बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) 10. लैंड लाईन टेलीफोन बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) 11. संपति का टैक्स रसीद (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) 12. क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) 13. बीमा पॉलिसी 14. बैंक के लेटर हेड पर जारी हस्ताक्षरित पत्र जिसमें फोटो लगा हो 15. निबंधित कंपनी के लेटर हेड पर जारी हस्ताक्षरित पत्र जिसमें फोटो लगा हो 16. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के लेटर हेड पर जारी हस्ताक्षरित पत्र जिसमें फोटो लगा हो 17. मनरेगा जॉब कार्ड 18. शस्त्र लाइसेंस 19. पेंशनर कार्ड 20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड 21. किसान पासबुक 22. CGHS/ECHSकार्ड 23. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में सांसद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण जिसमें फोटो लगा हो 24. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में ग्राम प्रधान और समकक्ष द्वारा जारी पते का प्रमाण (ग्रामीण क्षेत्र के लिये) 25. आयकर निर्धारण आदेश 26. वाहन निबंधन का प्रमाण 27. निबंधित सेल/लीज/रेन्ट एग्रीमेन्ट	28. भारतीय डाक द्वारा जारी फोटो युक्त पते का प्रमाण 29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त जाति/आवास प्रमाण पत्र 30. राज्य सरकार/केन्द्र/प्रशासन द्वारा जारी विकलांगता / अपंगता से संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र 31. गैस कनेक्शन बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) 32. पति या पत्नी का पासपोर्ट 33. माता/पिता का पासपोर्ट (बच्चों के लिये) 34.केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र जो 03 साल से अधिक पुराना नहीं हो 35. सरकार द्वारा जारी शादी का प्रमाण पत्र जिसमें पता दर्ज हो 36. भामाशाह कार्ड 37. अनाथों के लिए UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में मान्यता प्राप्त शेल्टर होम के हेड/ सुपरिटेन्डेन्ट/वार्डेन/मैट्रॉन द्वारा जारी प्रमाण पत्र 38. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में वार्ड पार्षद द्वारा जारी फोटो युक्त पते का प्रमाण 39. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी ID Card जिसमें पता दर्ज हो 40. फोटो युक्त SSLC book 41. स्कूल का ID Card जिसमें पता दर्ज हो 42.स्कूल लिविंग या स्कूल ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC) जिसमें नाम और पता दर्ज हो 43. Extract of School Records जिसमें नाम एवं पता दर्ज हो और फोटो लगा हो और स्कूल के प्रधानाध्यापक या हेड द्वारा जारी किया गया हो 44. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र के प्रारूप में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के हेड द्वारा हस्ताक्षरित पहचान का प्रमाण जिसमें नाम और पता दर्ज हो और फोटो लगा हो 45. UIDAI द्वारा आधार पंजीकरण/अपडेट हेतु जारी मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) द्वारा जारी पहचान का प्रमाण जिसमें नाम, जन्म तिथि दर्ज हो और फोटो लगा हो।

- **पंजीकरण या अपडेट के लिए मूल या ओरिजिनल डॉक्युमेंट लेकर आएं।फोटो कॉपी की जरूरत नहीं है।**
- **ओरिजिनल डॉक्युमेन्ट स्कैन करके आपको वापस कर दिया जाएगा**

13.2 अनुलग्नक II – आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

आधार पंजीकरण/अपडेट के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

अनुदेशः सभी विवरण बड़े अक्षरों में भरें
|4 आकार के कागज पर प्रिंट करें लेटर हेड पर प्रिंट करने की जरूरत नहीं

जारी करने की तिथि से 3 महीने के लिए वैध

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

निवासी का विवरण

☐ निवासी ☐ अनिवासी भारतीय ☐ नया पंजीकरण ☐ अपडेट आग्रह

आधार नंबर
(सिर्फ अपडेट के लिए)

पूरा नाम

C/o

मकान नंबर/बिल्डिंग/अपार्टमेंट

गली/सड़क/लेन

भमिचिह्न

क्षेत्र/लोकलिटी/सेक्टर

गांव/नगर/शहर

डाकघर

जिला

राज्य

पिन कोड

जन्म तिथि

निवासी का हस्ताक्षर/अंगूठे/अंगुली का निशान

कृपया यहां अपना हाल ही का रंगीन फोटो चिपकाएं

इस पर क्रॉस हस्ताक्षर एवं क्रॉस मंहर लगाएं

प्रमाणकर्ता का विवरण (सिर्फ प्रमाणकर्ता द्वारा भरा जाए)

प्रामणकर्ता का नामः

पदनामः

कार्यालय का पताः

संपर्क नंबरः

मै एतद द्वारा निवासी के ऊपर वर्णित विवरण को प्रामणीत करता हूं और मैं........

- ☐ राजपत्रित अधिकारी ग्रुप A
- ☐ ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया
- ☐ राजपत्रित अधिकारी ग्रुप A
- ☐ MP/MLA/MLC/नगर पार्षद
- ☐ तहसीलदार
- ☐ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का हेड
- ☐ मान्यता प्राप्त आश्रय गृह/अनाथालय का हेड/ सुपरिंटेंडेंट/वार्डन/मेट्रॉन/
- ☐ EPFO अधिकारी

प्रमाणकर्ता के लिए जांच बिंदु

- ☐ ओवर राईटिंग नहीं है
- ☐ जारी करने की तारीख
- ☐ निवासी का हस्ताक्षर
- ☐ प्रमाणकर्ता का विवरण
- ☐ निवासी का फोटो पर क्रॉस हस्ताक्षर है और क्रॉस मुहर है (फोटो से कागज पर और कागज से फोटो पर)

प्रमाणकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर

कृपया ध्यान दें: यह प्रारूप समय–समय पर उल्लिखित आधार विनियम 2016 की अनुसूची के पहचान के दस्तावेज क्रसं 17, 20, 21, 22, 31 और 32 पता के दस्तावेज क्रसं 23, 24, 37, 38, 44 और 45 संबंध के दस्तावेज क्रसं 13 और 14 जन्म तिथि के दस्तावेज क्रसं 4, 5, 14 और 15 के लिए लागू है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

13.4. अनुलग्नक IV – पंजीकरण फॉर्म

Under Section 3 of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 (Aadhaar Act)

आधार पंजीकरण / सुधार / अपडेट फॉर्म

आधार पंजीकरण और अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट निःशुल्क है। फॉर्म के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है। सुधार / अपडेट के मामलों में अपना आधार नम्बर, पूरा नाम और सिर्फ उन्हीं जानकारियों को दर्ज करें जिसमें सुधार या अपडेट की जरूरत है।

☐ निवासी ☐ अनिवासी भारतीय (NRI*)

1	पूर्व पंजीकरण क्रमांक (यदि लागू हो)	2	सुधार के मामले में आधार नम्बर (UID) दें ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2.1	☐ बयोमीट्रिक अपडेट (फोटो + अंगुली के निशान + आईरिश) ☐ मोबाइल ☐ जन्म तिथि ☐ पता ☐ नाम ☐ लिंग ☐ ई–मेल		
3	पूरा नाम		
4	लिंगः पूरूष ( ) महिला ( ) ट्रान्सजेन्डर ( )	5	उम्रः वर्ष या जन्म तिथि ☐ घोषित ☐ सत्यापित
6	पताःC/o ( ) D/o ( ) S/o ( ) W/o ( ) H/o ( )		
	मकान संख्या/बिल्डिंग/अपार्टमेंट		सड़क/गली
	भूमि चिह्न		क्षेत्र/सेक्टर
	ग्राम/शहर		पोस्ट ऑफिस
	जिला	उप जिला	राज्य
	ईमेल	मेबाइल नंबर	पिन कोड
7	माता ( ) पिता ( ) अभिभावक ( ) पति ( ) पत्नी ( ) का पूरा विवरण पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिये।व्यस्क चाहें तो ये जानकारी नहीं भी दर्ज करा सकते हैं।		
	नाम		
	EID/आधार नंबर		
	सत्यापन का प्रकार ( ) दस्तावेज आधारित ( ) पहचान कर्ता आधारित ( ) परिवार का मुखिया आधारित (HoF) ऊपर दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करें। परिचयकर्ता या परिवार के मुखिया आधारित का चुनाव तभी करें जब आपके पास पहचान और पता का कोई प्रमाण नहीं हो। दस्तावेज आधारित के लिए पहचान कर्ता या परिवार के मुखिया के विवरण की जरूरत नहीं है।		
8	दस्तावेज आधारित के लिए (जो दस्तावेज आपने दिए है उसका नाम लिखें)		
	क. पहचान का प्रमाण		ख. पता का प्रमाण
	ग. जन्म प्रमाण पत्र **अनिवार्य यदि जन्म तिथि सत्यापित है**		घ. संबंध का प्रमाण **अनिवार्य यदि पंजीकरण या अपडेट परिवार का मुखिया आधारित है**
9	पहचान कर्ता आधारित पंजीकरण के लिये–पहचान कर्ता का आधार नंबर		परिवार का मुखिया आधारित पंजीकरण के लियेः माता ( ) पिता ( ) अभिभावक ( ) पति ( ) पत्नी ( ) का पूरा विवरण परिवार का मुखिया का EID/आधार नंबर
	मैं पुष्टि करता हूं कि .... द्वारा दिया गया पहचान एवं पता का विवरण पूरी तरह से सही एवं सत्य हैं। पहचानकर्ता /परिवार के मुखिया का नाम परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर		

Disclosure under section 3(2) of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016

I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months / I am Non Resident Indian (NRI) & information (including biometrics) provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar and authentication. I understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my consent during authentication or as per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI.

सत्यापन कर्ता का मुहर एवं हस्ताक्षर
(यदि मुहर उपलब्ध नहीं है तो सत्यापन कर्ता अपना नाम जरूर दर्ज करें) आवेदक का हस्ताक्षर /अंगुठे का निशान

पंजीकरण एजेंसी द्वारा भरा जाए पंजीकरण समय एवं दिनांक..........................

नोटः छोटे बच्चों के मामले में उनके माता–पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर होगा। असमर्थ व्यक्ति के मामले में उनके विधिक संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

*अनिवासी भारतीय (NRI) के मामले में पहचान के लिए सिर्फ भारतीय पासपोर्ट ही वैध है।